राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 13

गुरुवार,

18 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा। श्री रघु शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकर्ता का नाम पुकारें, इससे पहले मेरी प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय हमने, राजस्थान विधान के प्रक्रिया नियमों के नियम-119 के तहत राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो आपके विचारार्थ है। अध्यक्ष महोदय, यह निंदा प्रस्ताव सिर्फ इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि क्या करना है बल्कि राज्य के गृह मंत्री ने इस सदन के अन्दर जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं। ''श्री शांति धारीवाल (गृह मंत्री) : काहे की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, +++ कर रहे हैं आप, यह कोई तरीका नहीं...(व्यवधान)... ''+++ करते हैं'' ...(व्यवधान)... ''श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री'') : +++ ...(व्यवधान) इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रस्ताव नियमों में है ...(व्यवधान)..

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्य

201. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2009 तक किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस विकास कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि जारी की गई और उक्त में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. रघु शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2009 तक विकास कार्यों के लिए जारी की गई राशि, पूर्ण/अपूर्ण का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कुल प्रस्तावित 657 कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त सभी 657 प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं।

(विवरण व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): व्यवधान मत करिए आप। मैं कह रहा हूं, बैठ जाएं आप, जवाब आने दीजिए (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) +++ नहीं चलेगी ...(व्यवधान)... यह नियमों में है। मेरी प्रार्थना है आपसे ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैठ जाएं, जवाब आने दीजिए। माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान की जनता की तरफ देखो। राजस्थान की जनता देख रही है आप लोगों को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस सवाल का जवाब आने दीजिए, राजस्थान की जनता से ...(व्यवधान)... इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जवाब आने दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान की जनता देख रही है आपको ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है, यह सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम-119 के तहत ...(व्यवधान)... निंदा प्रस्ताव आपके विचारार्थ है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... प्रदेश के हालात बहुत सामान्य हैं। राजस्थान की जनता के विकास के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग उसमें व्यवधान नहीं डालें। यहां हल्ला हर रोज, कल भी, माननीय सदस्य, पानी पर महत्वपूर्ण बहस होनी थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों में चलता है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पूरक प्रश्न पूछें, पूरक प्रश्न।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया ...(व्यवधान) राजस्थान में पानी का संकट है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा नियम और प्रक्रियाओं से चलेगी ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम-119 में जो निंदा प्रस्ताव विचारार्थ है, कृपया पहले आप ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यहां रोज आप सदन का समय जाया नहीं कर सकते। मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो। यह नियम 119 में माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने जो दिया है यह कार्यालय में मिला है। इसमें 17 पाइन्ट्स ऐसे हैं जिनके आधार पर इसकी ग्राहता पर विचार करना बहुत जरूरी है कि ग्राह्य किया जाए या नहीं किया जाए। चूंकि आपने अभी दिया है और तत्काल इसको उठा लिया, इसकी व्यवस्था देने में मैं तत्काल असमर्थ हूं। मैं देख लूं इसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ लिखी है +++ यह पूरा आपके रिकार्ड में है। यह कैसे चलेगा? यह आपके रिकार्ड में है। क्या व्यवस्था करेंगे आप? यह आपके रिकार्ड में हैं अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: किसी भी विषय पर, विराजिए आप। माननीय सदस्य, आसन पांव पर है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): ...(व्यवधान) आरोप खुद ने लगाया है, बात खुद ने की है और उसके बाद में बातें कर रहे हैं यह। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियमों के नियम-119 में रखा है, जो निंदा प्रस्ताव राज्य के गृह मंत्री के विरुद्ध नियम और प्रक्रिया के नियम-119 में रखा है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि प्रश्नकाल स्थगित करके इस पर विचार-विमर्श किया जाए।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं, नहीं मान रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कह दीजिए आपको जो कहना है। मैं अलाऊ कर रहा हूं। कह दीजिए जो कहना है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो-पांच-दस रोज से बार-बार यह हो रहा है कि जो विपक्ष है वह खुद जो काम करता है, वह पक्ष पर वह आरोप लगाता है। सारे सदन में यह बातचीत चल रही है, अब भी यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है, राजस्थान की विधान सभा में हमारा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन चलेगा ...(व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपको सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान)... सत्तापक्ष के सदस्य ने गृह मंत्री ...(व्यवधान)... झूठा आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सी.डी. और सारी प्रोसीडिंग को मंगा लिया जाय, प्रैस को बुला लिया जाए, दोनों पक्षों के मैम्बर्स को बुला लिया जाए और उनके सामने प्रदर्शित की जाए। गृह मंत्री के यह शब्द +++ इन शब्दों के बाद में कोई मंत्री, मंत्री पद पर रहने लायक है क्या?

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री को नहीं बोलने देंगे जिसके विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव है ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह जो निंदा का प्रस्ताव है इस पर पहले व्यवस्था दी जाए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर हंगामा)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमेशा तिवाड़ीजी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जबकि आज आपने व्यवस्था दी कि मैं इसकी व्यवस्था बाद में दूंगा इस निंदा प्रस्ताव की, लेकिन तिवाड़ीजी ने हल्ला करके यह किया ...(व्यवधान)... यह लोग इस बात के लिए आमादा हैं कि किसी तरीके से यह हाउस नहीं चले। मैं यह बात कहता हूं, यह निंदा प्रस्ताव की करते हैं, उस निंदा प्रस्ताव पर पूरे हाउस का वोट करवा लिया जाए। फिर देखे कि इनके पक्ष में ज्यादा आते हैं कि हमारे पक्ष में ज्यादा आते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह लोग अनुशासनहीनता के,

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अनुशासनहीनता करने के लिए आदी हो चुके हैं। ये तय करके आये हैं कि किसी तरीके से यहां पर सदन नियमों और प्रक्रियाओं से नहीं चले। हम इस प्रकार की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर व अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.06 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.06 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन को चलाना चाहते हैं, डेडलाक आप खतम करावें। नये सदस्य जल पर चर्चा करना चाहते हैं। कोई भी बात हुई हो तो आपस में समझौता कराके सदन तो चलाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पहले आप डेडलाक खतम करावें हाउस का। सारे लोग पानी पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... मुझे आसन से संरक्षण की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही रुके ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव को रखने के साथ ही ...(व्यवधान) जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किये गये हैं, यदि वे असंसदीय हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को कार्यवाही से बाहर निकाला जाए।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव प्रतिपक्ष के द्वारा रखा गया है, इस प्रस्ताव में यह जो इन्होंने वर्णित किया है...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कहीं आपस में...(व्यवधान)... मेरा आपसे निवेदन है कि आप आसन से समझौता करावें, कुछ भी करावें, लेकिन पानी पर तो चर्चा होनी चाहिए। लोगों को पता तो चले हम लोग कार्यवाही चलाना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...नियम 119 का जो हवाला दिया गया है यह नियम 119 स्पष्ट उल्लेख करता है कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राज्य के गृह मंत्री ने सर्वोच्च सदन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि +++, मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है, यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है और यह संसदीय कदाचार की श्रेणी में आता है, अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ... ''संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।'' (व्यवधान) अत: जो प्रस्ताव आपके ...(व्यवधान) इस प्रस्ताव पर ...(व्यवधान) और इस पर आपकी ओर से व्यवस्था फरमायी जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा ...(व्यवधान) चर्चा किस बात की है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बहस करा लो न। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) टारगेट कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाउस को आर्डर में लायें तब तो कोई बोलने से फायदा है। वरना ये इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं साफ-साफ। साफ-साफ यह व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, विपक्ष गलती कर रहा है। (व्यवधान) राठौड़ साहब, आपको भी ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): निन्दा प्रस्ताव पर व्यवस्था दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, हम तो सदन चलाना चाहते हैं ...(व्यवधान) ये माहौल खराब, ये लोग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये आप। विराजिये आप, माननीय सदस्य। विराजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): गृह मंत्री बर्खास्त होते हैं क्या? सदन को आप रोक रहे हो। खुद कार्यवाही को रोक रहे हो। आप चलाना ही नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चर्चा करें न।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी की ये जो सी.डी. है, इसको सारी प्रेस के सामने रिलीज करिये, दोनों पार्टियों के विधायकों को बुलाइये उसको दिखाइये, रिलीज करिये। उसके बाद हम आपकी व्यवस्था सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। कृपया आप लोग विराजें, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी साहब से अनुरोध करूंगा कि बेवजह आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। सब लोग पानी पर चर्चा करना चाहते हैं। आप तो बात को बिगाड़ रहे हैं ...(व्यवधान) सदन को चलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग विराजें, माननीय सदस्य। कृपया आप लोग विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सदन की कार्यवाही आप खुद रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये नारे लगाने की जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नारे लगाने के लिए आये हो क्या सब लोग?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) सी.डी. को प्रेस में जारी किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.09 बजे, एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.09 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, न तो आपने बुलाया और न आपने बातचीत की। मुझे दुःख इस बात का है कि तीन माननीय सदस्य आज सदन में मौजूद हैं आदरणीय दीपाजी, आदरणीय कल्याण सिंह जी, हनुमान बेनीवालजी, इन्होंने मुझे फोन करके कहा है कि तीनों के घर पुलिस गई और हनुमान बेनीवाल को पुलिस खोज रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे विजय पूनियाजी का फोन आया कि हम छह आदमी बैठे थे और पुलिस ने हमारे घर पर आकर हनुमान बेनीवाल को खोजने की कोशिश की।

सरकार पुलिस के बल पर हमको धमकाएगी, सरकार पुलिस के बल पर भ्रष्टाचार पर बोलना बंद करेगी, सरकार पुलिस के बल पर हमको वह करना चाहेगी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह न आज कर सकती है और न कल कर सकती है। (व्यवधान) मांफी मंगवाइये और फैसला करवाइये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): (व्यवधान) असत्य, बिल्कुल असत्य बात है। यह बिल्कुल गलत बात है। अगर इनको किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो यह लिखकर दें, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। (व्यवधान) यह असत्य है ...(व्यवधान) मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असत्य की राजनीति नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सदन को गुमराह करने के लिए यह बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: (व्यवधान) हमको धमकाना चाहती है, सरकार हमारी बात दबाना चाहती है। (व्यवधान)

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनको निकालो बाहर। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, हम सदन चलाना चाहते हैं, आपको दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को खतम करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): (व्यवधान) बाहर निकालो इनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असत्य बोलकर इल्जाम लगाने की.... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिल्कुल असत्य ...(व्यवधान) बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो यह लिखकर दें, मैं जांच करवाने को तैयार हूं। (व्यवधान) हर तरह से तैयार हूं लेकिन यह एक मनगढ़न्त आरोप है। (व्यवधान) इनको निकाला जाना चाहिए।

(सदन में भारी शोर शराबा)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे बाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.11 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.11 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के सामने राज्य के गृह मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, क्या नियमों में बोल रहे हैं? किन नियमों में बोल रहे हैं? आपने क्या इजाजत दी है इनको बोलने की? सभापति महोदय, बिना इजाजत से बोलने वालों का अंकित नहीं हो, इसकी व्यवस्था फरमाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम चाहते हैं कि आसन व्यवस्था दे क्योंकि जिस तरह का आचरण ...(व्यवधान) हुआ इस सदन के अन्दर ... (व्यवधान) सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चले पर सदन नियमों से चलेगा।

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोर-शराबा)

सभापति महोदय, हमें कहना है ...(व्यवधान) जो निन्दा प्रस्ताव है पहले उस पर इस सदन में बहस हो। हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि राज्य के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि राज्य के गृह मंत्री का आचरण कैसा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक का लगातार यह आचरण रहा है कि इसी प्रकार से बिना इजाजत के, बिना नियमों के यह अपनी ओर से बात रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सदन की परम्पराओं का निर्वहन करने के लिये इनको आप अपनी ओर से इंगित करें। इनको आप अपनी बात करने से रोकें और नियमों के अन्तर्गत ये अपनी बात को रखें, इसके लिये आप फरमायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, श्री शांती धारीवाल, राज्य के गृह मंत्री...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोर-शराबा)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर-शराबा)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सदन को चलने दें आप। (व्यवधान) मेहरबानी करके सदन चलने दें। सदन को चलने दें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोर-शराबा)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर-शराबा)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, विराजिये, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो।

सदस्य का निलम्बन

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य को निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कल दिनांक 17 मार्च, 2010 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में नारे लगा रहे थे। आसन की ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री को अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर ज्योंही माननीय जल संसाधन मंत्री अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने खड़े हुए... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोर-शराबा)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर-शराबा)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...उसी समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ वैल में उत्तेजित होते हुए, नियमावली पुस्तिका को अपने हाथ से हिलाते हुए, कागज छीनने के उद्देश्य से अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी साथ लेकर उकसाते हुए माननीय मंत्री महोदय की ओर झपटे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोर-शराबा)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर-शराबा)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इससे सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई और आसन को सुरक्षा कर्मियों को मंत्री महोदय और अन्य सत्ता पक्ष के सदस्यों की सुरक्षा हेतु बुलाना पड़ा।

श्री राठौड़ का यह कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट तथा नियमों एवं संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला रहा है। (व्यवधान)

आज भी सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रक्रिया के नियम 119 के तहत उनकी ओर से दी गई प्रस्ताव की सूचना के संबंध में बिना आसन की अनुमति के बोलना शुरू कर दिया, जबकि प्रक्रिया नियमों के तहत... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, अगर यह इस तरह से, अगर यह सत्तारूढ़ दल इस अभिमान में है कि माननीय सदस्यों को निकाल-निकाल कर हाउस चलाना चाहते हैं तो इस बात को तय कर लेना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक भी मैम्बर अन्दर रहेगा ना तब तक आप का हाउस नहीं चलने देगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...अध्यक्ष महोदय के निर्णय के पश्चात् ही ऐसे प्रस्ताव को उठाया जा सकता है। यही नहीं, माननीय सदस्य ने सदन में घोर अव्यवस्था फैलाने हेतु अन्य माननीय सदस्यों को उकसाने की कार्यवाही की है जिसके कारण आसन को तीन बार एक-एक घण्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सबको निकाल दो, एक ही प्रस्ताव में। एक ही प्रस्ताव लेकर आ जाए, यह प्रस्ताव लेकर आ जाओ कि सारी बी.जे.पी. को बाहर निकाल दिया जाए। कम से कम राजस्थान की जनता यह तो देखेगी कि यह राज में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह +++ की पार्टी। +++ सदन में...। (व्यवधान) +++ बहुमत का इतना अभिमान है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): श्री राठौड़ पूर्व में भी बिना आसन की अनुमति के ऐसा कृत्य कर संसदीय परम्पराओं का खुला उल्लंघन करने के आदी रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ का उक्त कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत एवं उनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है।

अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष के लिए सदन, की सदस्यता से निलम्बित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यदि +++ बहुमत की ताकत से निकालना चाहते हो तो याद रखना इस सदन को...। (व्यवधान) कुछ भी कर लेना, यह हाउस नहीं चल पायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.15 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(समय : 15.15 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य के निलम्बन का प्रस्ताव वैधानिक नहीं है

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया उस पर व्यवस्था फर्मायी जाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ...(व्यवधान) आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। एक सैकण्ड।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के निलम्बन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं निवेदन करता हूं कि उस प्रस्ताव पर व्यवस्था फर्मायी जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): व्यवस्था से पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप सदन में नहीं थे, उस समय माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने हल्ले में क्या पढ़ा, हमको पता नहीं लेकिन उसके बाद हमको पता लगा कि उन्होंने हमारे मुख्य सचेतक, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राठौड़ को एक साल के लिए सदन से निकालने का प्रस्ताव पेश किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव आ चुका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete first. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे पास प्रस्ताव आ चुका है। आप विराजिये। कृपया विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete.

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये, प्रस्ताव आ चुका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव की वैधानिकता पर ...(व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य का एक वर्ष के लिए निलम्बन

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य को एक वर्ष की अवधि से निकालने के लिए, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रस्ताव वैधानिक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लोकतंत्र का अपमान है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बिना चर्चा के ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिना चर्चा के,...(व्यवधान) चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: डिवीजन-डिवीजन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिवीजन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

अनेक माननीय सदस्य: डिवीजन-डिवीजन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिवीजन। ...(व्यवधान)...

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वे सदन से बाहर चले जाएं।

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया सदन से बाहर चले जाएं।

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वे कृपया सदन से बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल व नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का +++ कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पाइंट आफ आर्डर नहीं सुन रहे हो। आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुन रहे हो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव के समय बिना आपकी इजाजत के ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह +++ है। हमारे साथ ...(व्यवधान) +++ कर रहे हो आप। (व्यवधान) बहुमत में आप ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह निर्णय सब दिया है ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप वोट करवाइये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो असंसदीय हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप वोट नहीं करवा रहे हो। आप +++ कर रहे हो। वोट नहीं करवा रहे हो। आप गोली चलवाना चाहते हो यहां पर सदन में। आप मराना चाहते हो लोगों को ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप अभिमान मत करो। इतना अभिमान मत करो। यह दिन तो आएंगे और चले जाएंगे, परन्तु ऐसी परम्परा डालकर ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे नहीं जाने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह लोकतंत्र का ...(व्यवधान) आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? ...(व्यवधान) हाथापाई करके ले जाना चाहते हो तो ले जाओ ...(व्यवधान) हाथापाई करके ...(व्यवधान) नहीं जा सकते यह। यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता । (व्यवधान) यहां पर ...(व्यवधान) करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोकतंत्र की हत्या है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर इसके खिलाफ करेंगे तो ...(व्यवधान) हाथापाई करके आप ...(व्यवधान) चाहते हो, यह तमाशा हो गया लोकतंत्र का। (व्यवधान) यह क्या मजाक है आपकी? मेजोरिटी का मतलब, मेजोरिटी का मतलब यह +++ होता है क्या? मेजोरिटी का मतलब नियमों का पालन किया जाता है। अगर इनके आधार पर करना चाहो तो ...(व्यवधान) नहीं करना चाहते हो तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह निर्णय मेरा व्यक्तिगत नहीं है। नियमों के अनुकूल आसन बाध्य होता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री कालीचरण सराफ, ध्यान आकर्षित करें। (व्यवधान) श्री कालीचरण सराफ, ध्यान आकर्षित करें।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहन लाल गुप्ता, ध्यान आकर्षित करें। (व्यवधान) श्री मोहन लाल गुप्ता, ध्यान आकर्षित करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री प्रकाश चौधरी। श्री प्रकाश चौधरी। (व्यवधान) श्री प्रकाश चौधरी। डा. दयाराम परमार। डा. दयाराम परमार।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' 2009-10 का प्रतिवेदन (क्र.सं.1 व 2)

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क' 2009-2010 के दो प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:-

(1) वन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2006-2007 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'क' 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: बाहर निकालें इनको। (व्यवधान)

श्री अमराराम। वह बोलने के लिये तो खड़े हो ना। श्री अमराराम। श्री अमराराम।

श्री बाबूसिंह राठौड़। श्री बाबूसिंह राठौड़।

याचिकाओं पर उपस्थापन। श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्षजी, गोली चलवा दो ना, गोली। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या-42 उद्योग की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,07,82,000/- (छियासठ करोड़ सात लाख बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गोली चलाओ गोली, आप लोग। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल जाट।

मांग संख्या-43 खनिज की प्रस्तुति

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,93,25,000/- (चौसठ करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या-9 वन की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,89,83,37,000/- (चार अरब नवासी करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या-42, 43 व 9 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(समय: 15.22 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो पाप आज किया जा रहा है, पाप का बदला राजस्थान की जनता चुकायेगी। राजस्थान की जनता चुकायेगी पाप का बदला। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य इन मांगों के ऊपर बोलना चाहें, उन्हें बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्थान की जनता चुकायेगी पाप का बदला। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पाप का बदला चुकेगा। आप जो समय शेष है, वही पाप का भागी, केवल जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका अपराध। (व्यवधान)

मांग संख्या 42, 43 एवं 9 पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 पर उन सभी माननीय सदस्य महानुभावों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह आपका भी +++ लिखा जायेगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह आपका भी +++ लिखा जायेगा। आसन का +++ लिखा जायेगा और यह +++ का बदला राजस्थान की जनता आपसे लेकर रहेगी। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उद्योग विभाग के संबंध में, इसके समर्थन के संबंध में, इसके जो कुछ भी अभिव्यक्तियां दीं, मैं उनके लिये उनका बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, इतना शोर-शराबा हो रहा है, मैं मेरे खान विभाग एवं वन विभागों की जो मांग है, उनका जवाब मैं सदन के पटल पर रखता हूं। मांग पारित की जावे। दोनों का जवाब लिखित में सदन के पटल पर रखता हूं। दोनों विभागों की मांग पारित की जावे। (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण का लिखित उत्तर हेतु परिशिष्ट-2 देखें।)

मांग संख्या-42 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,07,82,000/- (छियासठ करोड़ सात लाख बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

मांग संख्या-43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,93,25,000/- (चौंसठ करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

मांग संख्या-9 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,89,83,37,000/- (चार अरब नवासी करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक ..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज सुबह जो प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा गया, प्रतिपक्ष द्वारा उस समय जो असंसदीय शब्द कहे गये और आज भी जो असंसदीय शब्द कहे गये हैं, कृपया उनको कार्यवाही से विलोपित करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: सदन में जो भी असंसदीय शब्द किसी भी माननीय सदस्य द्वारा सदन में कहे गये हैं, उनको एक्सपंज किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को देकर किसी मंत्री को नहीं बचा सकते।

श्री सभापति: सदन की बैठक दिनांक 19 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.26 बजे शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

202. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) एवं **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के बजट में वर्ष 2007 तक के समस्त बकाया कृषि कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2010 तक कुल कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के बजट में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना प्रारम्भ करने की घोषणा भी की गई थी? यदि हां, तो इस योजना अन्तर्गत कितने विद्युत कनेक्शन जारी किये गये व कितनी राशि व्यय की गई?

(3) वर्ष 2009-10 में सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत कीं तथा इन योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक जिला चूरू में कुल कितने टांसफार्मर व विद्युत लाइनें चोरी हुई एवं कुल कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तथा इस कारण कितने-कितने दिन तक कहां-कहां विद्युत आपूर्ति बंद रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट में घोषणा के अनुरूप दिसम्बर, 2007 तक के समस्त आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। माह जनवरी, 2010 तक लगभग 75,667 मांग पत्र जमा हुए हैं। उनमें से 60886 कनेक्शन दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक जारी किये जा चुके हैं। शेष बचे आवेदकों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी हैं।

(2) जी हां। यह योजना विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिये नहीं थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने हेतु नये 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की है। इस पर फरवरी, 2010 तक 158.01 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में निम्न विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की हैं-

अ) राज्य क्षेत्र में उत्पादन निगम के माध्यम से :-

1)	छबड़ा सुपर क्रिटीकल विस्तार परियोजना इकाई - 5 एवं 6	-2x660 मेगावाट
2)	सूरतगढ़ सुपर क्रिटीकल विस्तार परियोजना इकाई - 7 एवं 8	-2x660 मेगावाट

ब) निजी क्षेत्र में-

1)	बांसवाड़ा सुपर क्रिटीकल परियोजना इकाई - 1 एवं 2	-2x660 मेगावाट
2)	गिरल लिग्नाइट विस्तार परियोजना इकाई - 3 एवं 4	-2x125 मेगावाट
3)	गुढा वेस्ट लिग्नाइट परियोजना	-70 मेगावाट
	कुल (अ+ब)	-**4280 मेगावाट**

उपरोक्त राज्य क्षेत्र की दोनों परियोजनाओं पर अब तक 56.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है, पानी का आबंटन हो गया है एवं कोल लिंकेज के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुशंसा कर कोल मंत्रालय को लिंकेज के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन दोनों विस्तार परियोजनाओं के लिये ईपीसी के तहत निविदा प्रक्रिया चालू की जा चुकी है एवं शीघ्र ही इसकी निविदाऐं खोलकर आदेश प्रदान कर दिये जावेगें।

निजी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिये पानी का आबंटन हो गया है। बांसवाड़ा एवं गुढा वेस्ट परियोजनाओं के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है। बांसवाड़ा के लिये कोयला आबंटन के लिये कोयला मंत्रालय को आवेदन कर दिया गया है। गिरल परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध है एवं लिग्नाइट की भी उपलब्धता है। गुढा वेस्ट के लिए भी लिग्नाइट की उपलब्धता हो बांसवाड़ा एवं गुढा वेस्ट परियोजनाओं के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार केस-2 प्रक्रिया के तहत निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है एवं गिरल के लिए निविदा प्रक्रिया चालू कर दी जायेगी।

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य की भविष्य में विद्युत मांग को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009-10 में कुल 4780 मेगावाट क्षमता की छह निम्न परियोजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

स) राज्य क्षेत्र में उत्पादन निगम के माध्य से :-

1) कालीसिंध सुपर क्रिटीकल विस्तार परियोजना इकाई - 3 एवं 4 -2x660 मेगावाट

2) सूरतगढ़ सुपर क्रिटीकल विस्तार परियोजना इकाई - 9 एवं 10 -2x660 मेगावाट

3) बांसवाड़ा सुपर क्रिटीकल परियोजना इकाई - 1 एवं 2 -2x660 मेगावाट

4) धौलपुर गैस विस्तार परियोजना चरण-2 -3x110 मेगावाट

5) रामगढ़ गैस विस्तार परियोजना चरण-4 -160 मेगावाट

द) निजी क्षेत्र में

1) केशोरायपाटन गैस परियोजना -3x110 मेगावाट

(प्रस्तावित)

कुल (स+द) -4780 मेगावाट

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक की समयावधि में जिला चूरू में कुल 30 ट्रांसफार्मर व 6 विद्युत लाइनों के तारों की चोरी हुई। इन सभी प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवायी गयी। उक्त ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत लाइनों से तारों की चोरी के कारण बाधित रही विद्युत आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट- "अ" एवं "ब" में दर्शाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मंहगाई पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

203. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला तहसील एवं ब्लाक स्तर पर सस्ते दामों में

(श्री अब्दुल सगीर खां)

आवश्यक वस्तुऐं विक्रय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और किस प्रकार?

(2) क्या सरकार महंगाई से निपटने के लिये कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार की नीति एवं दिशा-निर्देशानुसार दालें एवं खाद्य तेल का आयात कर अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मूंग दाल का भारत सरकार के उपक्रम एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से आयात कर अक्टूबर 2009 से 7 संभाग मुख्यालयों पर वितरण किया गया है एवं अतिरिक्त दाल आयात करने के आदेश भी दिये गये हैं। खाद्य तेलों के आयात हेतु स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसे माह मई, 2010 में उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा महंगाई से निपटने के लिये विशेष कार्य योजना के द्वारा रियायती दर पर भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत दाल एवं खाद्य तेल आयात करने की कार्यवाही की जा रही है। वैसे महंगाई देशव्यापी समस्या है। केवल राज्य सरकार द्वारा इस पर पूर्ण नियंत्रण सम्भव नहीं है, फिर भी भारत सरकार के साथ समन्वय कर रियायती दरों पर दालें एवं खाद्य तेल आयात कर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

कोटा जिले के अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों की भूमि का नियमन

204. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसान भारी संख्या में 30-35 वर्षो से खेती करते आ रहे हैं और नियम 91 की कार्यवाही के तहत तहसीलदारों द्वारा जुर्माना जमा कराकर खेती करते आ रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे किसानों की कितनी संख्या है और यह कितने रकबा भूमि पर खेती करते आ रहे हैं?

(2) ऐसे अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों की भूमि की खातेदारी के क्या मानदण्ड हैं?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत 13 महीनों में जिले में अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों की भूमि का नियमन कर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को अधिकार दिये गये हैं और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा जिले में अनेक किसान प्रतिवर्ष राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करते आ रहे हैं। अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रतिवर्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91/राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अधीन कार्यवाही कर इन्हें अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है। संवत् 2066 (खरीफ) में अतिक्रमण करने वालों की तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	तहसील	भूमि रकबा	संख्या अतिक्रमी
1.	लाडपुरा	1902 है.	3651
2.	सांगोद	253.52 है.	858
3.	दीगोद	1076.26 है.	3461
4.	रामगंजमण्डी	1820 बीघा	1009
5.	पीपल्दा	2200 एकड़	1918

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 एवं राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 के नियम 13 (ए) एवं अधिसूचना दिनांक 11.1.08 के अन्तर्गत दिनांक 1.1.2000 के पूर्व से लगातार अतिक्रमी भूमिहीन कृषकों द्वारा निम्न शर्तें पूरी करने पर अतिक्रमण को नियमन करने का प्रावधान है :-

1. भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं हो।
2. अतिक्रमी भूमिहीन हो अथवा उसके पास निर्धारित सीमा से कम भूमि हो।
3. अतिक्रमण दिनांक 01.01.2000 से पूर्व से लगातार हो।

निर्धारित शर्तें पूरी करने पर आबंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर आबंटन अधिकारी द्वारा अतिक्रमण नियमन कर खातेदारी प्रदत्त की जाती है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। गत 13 महीनों में अतिक्रमित भूमि पर कोई खातेदारी नहीं दी गई है क्योंकि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है।

प्रदेश में दन्त चिकित्सा परिषद् का गठन

205. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में चिकित्सकों के पंजीकरण व नियमन के लिये कौन कौन सी राज्य स्तरीय परिषदें गठित की जा चुकी हैं?

(2) क्या राजस्थान में दन्त चिकित्सकों के पंजीयन एवं नियमन के लिये भी राज्य स्तरीय परिषद् गठित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राज्य में दन्त चिकित्सा क्षेत्र के नियमन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान में दन्त चिकित्सा क्षेत्र में कितने महाविद्यालय स्थापित हैं एवं प्रतिवर्ष इनमें कितने विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दन्त चिकित्सा के विस्तार हेतु राज्य में दन्त चिकित्सा परिषद् की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उदयपुर सम्भाग में कुल कितने दन्त चिकित्सक कार्यरत हैं तथा उक्त सम्भाग में दन्त चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में चिकित्सकों के पंजीकरण व नियमन के लिये निम्नानुसार राज्य स्तरीय परिषदें/बोर्ड गठित हैं :-

1. एलोपैथिक चिकित्सकों के लिये राजस्थान चिकित्सा परिषद् गठित है।

2. आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन हेतु बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसीन राजस्थान, जयपुर गठित है।

3. होम्योपैथिक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन हेतु राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर गठित है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य में दन्त चिकित्सा परिषद के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राजस्थान में दन्त चिकित्सा क्षेत्र में 01 महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र एवं 12 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। प्रवेश सम्बन्धी सूची परिशिष्ट-अ पर है।

(4) जी हां। राज्य में दन्त चिकित्सा परिषद् के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) उदयपुर सम्भाग में दन्त चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर उपलब्ध है।

सह आचार्य, दंत के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र सहायक आचार्य, दंत उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना सम्भव नहीं है एवं सहायक आचार्य, दंत के पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) के 10 पदों हेतु डी.पी.सी. आहूत की जा चुकी है। चयनित कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) से रिक्त पद भरने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम घस्सू जिला सीकर में बीज विधायन केन्द्र की स्थापना

206. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में बीज विधायन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से एवं किस स्तर पर तथा किस स्थान के लिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला सीकर के नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर स्थित ग्राम घस्सू (विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़) में उक्त बीज विधायन केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिले में बीज विधायन केन्द्र की स्थापना हेतु मार्च 2008 में प्रस्ताव सहायता हेतु भारत सरकार को भिजवाया गया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर सहमति जून 2008 को प्राप्त हुई। आबंटित राशि की स्वीकृति दिनांक 23.02.2010 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई। बीज विधायन केन्द्र हेतु सीकर जिले में स्थान निर्धारित नहीं है।

(2) नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर स्थित ग्राम घस्सू, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर भी प्रस्तावित स्थानों में से एक स्थान है, जिस पर वर्तमान में कार्यवाही विचाराधीन है। बीज विधायन केन्द्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

मेवात विकास बोर्ड द्वारा निर्मित बालिका आवासीय विद्यालय

207. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) **:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेवात क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड द्वारा बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करवाया गया था? उक्त बालिका आवास कहां-कहां पर निर्मित करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय विद्यालय बन कर तैयार हो चुके हैं तथा विगत कई वर्षो से यह ढांचे के रूप में खड़े हैं? यदि हां, तो इनके निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? प्रत्येक आवासीय विद्यालय पर आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय विद्यालयों को बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? क्या सरकार वह उद्देश्य पूरा कर पाई है? क्या सरकार इन बालिका आवासीय विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलवर जिले में 11 व भरतपुर जिले में 5 बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया।

जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त 16 आवासीय विद्यालयों में 15 आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। एक आवासीय विद्यालय प्रगतिरत है जो शीघ्र पूर्ण होने की स्थिति में है। इनके निर्माण पर 417.37 लाख रुपये राशि व्यय की गयी हैं।

प्रत्येक आवासीय विद्यालय पर आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या क्रमश: 4 व 5 पर अवलोकनीय है।

(3) उक्त आवासीय विद्यालयों को बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य मेव बाहुल्य पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। आवासीय विद्यालयों के संचालन सुचारू रूप से होने पर स्वत: ही उद्देश्य पूरा हो जायेगा। जी हां, सरकार इन बालिका आवासीय विद्यालयों को सुचारू रूप से आगामी वित्त वर्ष से संचालन करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय विद्यालयों का विवरण

जिला : अलवर

क्र. सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्य के निर्माण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	बालिका आवासीय विद्यालय, जैरोली	तिजारा	25.00	20.00	प्रगतिरत
2	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्वालदा	तिजारा	25.00	25.00	पूर्ण
3	बालिका आवासीय विद्यालय, जमालपुर	लक्ष्मणगढ़	25.00	25.00	पूर्ण
4	बालिका आवासीय विद्यालय, खानपुर मेवान	किशनगढ़बास	25.00	25.00	पूर्ण
5	बालिका आवासीय विद्यालय, बाघोडा	किशनगढ़बास	25.00	25.00	पूर्ण
6	बालिका आवासीय विद्यालय, नगला बंजीरका	रामगढ़	25.00	25.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
7	बालिका आवासीय विद्यालय, मातौर	मुण्डावर	25.00	25.00	पूर्ण
8	बालिका आवासीय विद्यालय, चांदोली	उमरैण	25.00	25.00	पूर्ण
9	बालिका आवासीय विद्यालय, गोठडा	कठूमर	25.00	25.00	पूर्ण
10	बालिका आवासीय विद्यालय, मह्वाखुर्द	उमरैण	25.00	25.00	पूर्ण
11	बालिका आवासीय विद्यालय, सहजपुर	रामगढ़	25.00	20.00	पूर्ण
जिला : भरतपुर					
12	बालिका आवासीय विद्यालय, सहसन	कामां	37.50	31.58	पूर्ण
13	बालिका आवासीय विद्यालय, जोतरूहल्ला	कामां	37.50	30.52	पूर्ण
14	बालिका आवासीय विद्यालय, कैथवाड़ा	नगर	40.40	27.72	पूर्ण
15	बालिका आवासीय विद्यालय, गुलपाडा	नगर	37.82	36.04	पूर्ण
16	बालिका आवासीय विद्यालय, टोडा	डीग	35.25	26.51	पूर्ण
	योग		463.47	417.37	

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्राम

208. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के करनीसर भाटियान (पंचायत मुख्यालय), रामसर छोटा, छील्ला, आदि गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे और कितने गांव हैं जो आज तक

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

विद्युतीकृत नहीं हुए हैं? क्या सरकार ऐसे गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. विद्युतीकरण योजना में कितने आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। करनीसर भाटियान (कोड-507300) पूर्व में विद्युतीकृत था, लेकिन वर्ष 2003 में 11 के.वी. विद्युत लाइन चोरी हो गई थी, जिसकी प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) पुलिस थाना पूगल में क्रमांक 44/2003 में दर्ज है। वर्तमान में कोई भी नियमित/चालू विद्युत कनेक्शन उक्त गांव में नहीं हैं। न ही कोई विद्युत कनेक्शन के लिये पत्रावली/आवेदन पत्र लम्बित है। आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा।

जनगणना 2001 के अनुसार बीकानेर जिले की विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में 184 आबाद गांवों की सूची में रामसर छोटा छिल्ला नाम का कोई गांव नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी गांव विद्युतीकृत हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. विद्युतीकरण योजना में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

जैसलमेर जिले में चयनित परिवारों को राशन सामग्री वितरण

209. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में कुल कितने बीपीएल चयनित परिवार हैं तथा वर्ष 2009-2010 में अब तक परिवारों के हिसाब से प्रतिमाह कितनी चीनी व गेहूं सरकार द्वारा आबंटन की गई है? जिला प्रशासन द्वारा कितनी चीनी व गेहूं उठाया गया है एवं कितने परिवारों तथा ग्रामों में वितरण किया गया एवं कितने परिवार व ग्राम वितरण से शेष हैं? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जैसलमेर में कुल कितने एपीएल परिवारों को वर्ष 2009-2010 में राशन के गेहूं का आबंटन व वितरण किया गया तथा कितने ग्राम व परिवार आबंटन व वितरण से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में 15604 बीपीएल चयनित परिवार हैं। वर्ष 2009-10 में अब तक परिवारों के हिसाब से प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा लेवी चीनी एवं गेहूं का आबंटन एवं उसके तहत उठाव की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। 15604 परिवारों एवं जिले के 761 ग्रामों में लेवी चीनी एवं गेहूं का वितरण बीपीएल चयनित परिवारों को किया गया है। कोई भी चयनित परिवार एवं ग्राम वितरण से शेष नहीं है।

(2) जिला जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 125600 एपीएल परिवारों को 761 ग्रामों में 3 से 5 माह के अन्तराल पर गेहूं का आबंटन व वितरण किया गया:-

एपीएल गेहूं 7009 मै. टन, सूखाग्रस्त योजना का 1962 मै. टन एवं खुली बिक्री योजना का 1492 मै. टन, एक मुश्त विशेष आबंटन 1378 मै. टन किया गया। कोई ग्राम वितरण से शेष नहीं रहा है। माहवार आबंटन व वितरण का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में हृदय शल्य चिकित्सा इकाई में उपलब्ध उपकरण

210. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की हृदय शल्य चिकित्सा इकाई में वर्तमान में किये जा रहे आपरेशन की संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कौन-कौन से उपकरण कितने-कितने होने चाहिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौन से उपकरण कितनी-कितनी संख्या में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त उपकरणों की कमी को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के सी.टी. सर्जरी विभाग में वर्तमान में किये जा रहे आपरेशन की संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) वर्तमान में सी.टी. सर्जरी विभाग में कार्यरत उपकरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) जी हां। चिकित्सालय की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक उपकरणों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सी.टी. सर्जरी विभाग में वर्तमान में किये जा रहे आपरेशन की संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक उपकरणों की संख्या

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या
1	आपरेशन टेबल	4
2	एनेस्थीसिया मशीन	4
3	वेल्टीलेटर	10
4	मोनीटर	13
5	सक्शन मशीन	6
6	ई.टी.ओ. मशीन	1
7	ए.बी.जी. मशीन	2
8	बी.पी. इण्स्ट्रूमेन्ट	6
9	पेस मेकर	5
10	डिफीब्रिलेटर	4
11	कोटरी मशीन	4
12	अम्बू बैग	6
13	ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर	3
14	ग्लूकोमीटर	4
15	हार्ट लंग मशीन	3
16	तापक्रम नियंत्रण यूनिट	3

परिशिष्ट-ब

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सी.टी. सर्जरी विभाग में कार्यरत उपकरणों की संख्या

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या
1	आपरेशन टेबल	2
2	एनेस्थीसिया मशीन	3
3	वेल्टीलेटर	8
4	मोनीटर	11
5	सक्शन मशीन	4
6	ई.टी.ओ. मशीन	1
7	ए.बी.जी. मशीन	2
8	बी.पी. इण्स्ट्रूमेन्ट	4
9	पेस मेकर	3
10	डिफीब्रिलेटर	2
11	कोटरी मशीन	4
12	अम्बू बैग	3
13	ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर	2
14	ग्लूकोमीटर	2
15	हार्ट लंग मशीन	2
16	तापक्रम नियंत्रण यूनिट	2

आवश्यकता पड़ने पर कुछ इक्विपमेंट कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्ट से लिये जाते है, ताकि ऑपरेशन में परेशानी न हो।

राज्य की स्टेट बी.पी.एल. सूची

211. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में बनाई गई बी.पी.एल. सूची में वंचित रहे निर्धन परिवारों के लिए सरकार द्वारा अलग से स्टेट बी.पी.एल. सूची बनाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्टेट बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है? यदि हां, तो कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 1997 की ग्रामीण बी.पी.एल. सूची में चयनित, लेकिन वर्ष 2002 की सूची में चयन से वंचित रहे परिवारों की अलग से स्टेट बी.पी.एल. सूची बनाने के निर्देश दिनांक 27.2.2009 को दिये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्टेट बी.पी.एल. सूची को आनलाइन कर अन्तिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 6(11)ग्रा.वि./अनु.14/एसजीएसवाई/2002   जयपुर दिनांक 27.2.2009

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि 1997 की बी.पी.एल. सूची में कुछ निर्धन परिवार ऐसे हैं जिनके नाम 2002 की बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं। अत: ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके सम्बन्ध में परिवारों का सर्वेक्षण करवायें एवं इस सम्बन्ध में तय किये गये नार्म्स के अनुसार उनका चयन करें तथा अलग से बी.पी.एल. सूची तैयार की जाये जो स्टेट बी.पी.एल. सूची कहलायेगी। इस स्टेट बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित परिवार मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

राजेन्द्र भाणावत
शासन सचिव

अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में हाइटेंशन लाइनों की दुर्घटना में मृतकों को मुआवजा

212. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में हाइ-टेंशन व ला-टेंशन (एच.टी/एल.टी) विद्युत लाइनों की चपेट में आ जाने से दुर्घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में जिला अजमेर में कितने लोग घायल हुए और कितनी मौत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा मौत के उपरान्त पीड़ित परिवार को सहायता

(श्रीमती अनिता भदेल)

के रूप में राशि प्रदान की गई? यदि हां, तो कितनी? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लाइनों को भूमिगत करने या अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के जे.पी. नगर की यू.आई.टी. कालोनी एवं आवासन मण्डल के 700-800 मकानों की कॉलोनी के ऊपर से एच.टी./एल.टी. विद्युत लाइनें गुजर रही हैं? यदि हां, तो अब तक इन लाइनों से कितने लोगों की मृत्यु हुई व सरकार इनको कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला अजमेर में हाई टेंशन व ला-टेंशन (एच.टी./एल.टी) विद्युत लाइनों की चपेट में आ जाने से दुर्घटनाएं हुई हैं। गत पांच वर्षों में जिला अजमेर में 58 लोग घायल हुए और 71 जनों की मौतें हुई।

(2) गत 5 वर्षों में घातक/अघातक दुर्घटना के उपरांत पीड़ित परिवार को "क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923" व "आमजन क्षतिपूर्ति योजना-2004" के तहत कुल क्षतिपूर्ति राशि रुपये 59,87,998/- प्रदान की गई। क्षतिपूर्ति का विवरण प्रपत्र-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जे.पी. नगर में 700-800 मकानों की कालोनी है, जो कि आवासन मण्डल एवं नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित कालोनी में एच.टी. लाइन काफी पहले खींची गई थी। 1970 के आस-पास इन लाइनों के नीचे मकानों का निर्माण किया गया है। आवासन मण्डल एवं नगर सुधार न्यास के आबंटियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण की वजह से कुछ जगह पर एच.टी./एल.टी. लाइनों का (Clearance) प्रभावित हुआ है। इन लाइनों से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

इस तरह के प्रकरणों में आवेदन प्राप्त होने तथा निगम नियमानुसार शिफ्टिंग राशि जमा होने पर लाइन हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितताएं

213. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शंकर सिंह)

(1) राज्य में सरकार द्वारा बी.पी.एल. अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं, जौ, चावल व चीनी कितनी-कितनी, किस-किस दर पर प्रति राशन कार्ड पर प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह में वर्ग वार कितनी सामग्री दी गई?

(3) क्या यह सही है कि जनवरी, फरवरी 2010 में ग्रामीण क्षेत्र में ए.पी.एल. परिवारों को 6.80 प्रति किलो दर वाला गेहूं वितरित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? जिला रसद अधिकारी अजमेर से कितनी मात्रा में गेहूं व शक्कर उठाया गया व कितना वितरित हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमितता में कौन से अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा एपीएल परिवारों को आबंटन के आधार पर समानुपातिक मात्रा में गेहूं वितरण कराया जाता है, जिसका औसत 5 से 6 किग्रा. प्रति राशन कार्ड आता है तथा इसे 6.80/- रुपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 2/- रुपये प्रति क्रिग्रा. की दर से वितरित किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को 30 से 31 किग्रा. गेहूं उनकी संख्या के आधार पर समानुपातिक मात्रा में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 4.70/- रुपये प्रति किग्रा. की दर से वितरित किया जाता है तथा बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को भारत सरकार द्वारा आबंटित चीनी मिलों से उपलब्ध होने की स्थिति में समानुपातिक मात्रा में 13.50 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर वितरण की जाती है। चावल एवं जौ का आबंटन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह वर्गवार वितरित की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार :-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम सामग्री	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	एएवाई	अन्नपूर्णा
1	गेहूं	5 किग्रा.	30 से 31 किग्रा.	35 किग्रा.	10 किग्रा.
2	चीनी	निल	2.5 किग्रा.	2.5 किग्रा.	निल
3	केरोसीन	1. डबल गैस कनेक्शन सिलेण्डधारी को शून्य 2. सिंगल गैस कनेक्शन सिलेण्डरधारी को 2 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 3. अन्य सभी राशन कार्ड धारियों को समानुपातिक मात्रा में 3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह			

एपीएल व बीपीएल गेहूं समानुपातिक मात्रा के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका वितरण ए.पी.एल. का त्रैमासिक आधार पर एक साथ व बी.पी.एल. का प्रतिमाह कराया जा रहा है। अन्त्योदय परिवारों को गेहूं 35 किग्रा. प्रतिमाह कराया जा रहा है। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी का वितरण समानुपातिक मात्रा के आधार पर एक साथ त्रैमासिक आधार पर कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं। ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र में जनवरी व फरवरी, 2010 में एपीएल परिवारों को 6.80/- रु. प्रति किग्रा. वाला गेहूं तीन माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2010 का एक साथ वितरित किया गया है। गेहूं व चीनी के उठाव एवं वितरण का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) उक्त वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है, इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई (भरतपुर) के जीर्ण-शीर्ण उप स्वास्थ्य केन्द्र

214. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा')

(2) जिला भरतपुर में गत चार वर्षों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय नदबई के आपरेशन थियेटर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्या उक्त आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा बजट आबंटित किया जाना प्रस्तावित है?

(4) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विधान सभा क्षेत्र नदबई में आवश्यकता से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होने के कारण वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति नदबई में आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं परन्तु पंचायत समिति रूपवास एवं सेवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। आगामी वित्तीय वर्षों में खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जिला भरतपुर में वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक स्वीकृत किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई में आपरेशन थियेटर एवं उपकरण उपलब्ध हैं, परन्तु कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग एवं सर्जरी) का पद रिक्त है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई को एफआरयू (फस्ट रेफरल) यूनिट) के रूप में चयनित किया गया है। स्त्रीरोग एवं निश्चेतन विशेषज्ञ की सुविधा एन.आर.एच.एम. के तहत संविदा पर आधारित अस्थाई तौर पर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र, नदबई के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोलीछार को छोड़कर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोलीछार में भवन पुराना है आगामी वित्तीय वर्षों में इसकी मरम्मत करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

(नाम सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) में नरेगा के तहत स्वीकृत कार्य

215. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि व किस-किस ग्राम पंचायत में स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण तथा कितने शुरू होने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक तहसील शेरगढ़ में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत तहसील शेरगढ़ की 32 ग्राम पंचायतों में कुल 502 कार्य 6688.16 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये। ग्राम पंचायतवार स्वीकृत किये गये कार्य की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने शुरू होने शेष हैं की स्थिति परिशिष्ट-1 के कालम 11 के अनुसार है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर विद्युत निगम द्वारा क्रय की गई सामग्री की जांच

216. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम में सामग्री खरीद की जांच इंस्पेक्शन विंग द्वारा की जाती है तथा क्या अजमेर डिस्काम में यह विंग है?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा एलिमर कम्पनी से मीटर

(श्री वासुदेव देवनानी)

खरीदे गये थे जिन्हें कम्पनी को वापस करने पड़े? यदि हां, तो क्यों व इनका निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया? क्या सरकार द्वारा इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा इस वर्ष ट्रांसफार्मर खरीदे गये हैं? यदि हां, तो क्या इनका निरीक्षण करवाया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि निरीक्षण रिपोर्ट पर अधीक्षण अभियंता द्वारा संबंधित निरीक्षकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है? यदि हां, तो किस मुद्दे पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि निरीक्षण रिपोर्ट गलत पाई गई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर निगम में वर्तमान में अलग से कोई इंस्पेक्शन विंग नहीं होने के कारण फील्ड अभियन्ताओं द्वारा ही सामग्री खरीद की जांच कराई जा रही है।

(2) जी हां। निगम द्वारा एलिमर कंपनी के मीटर खरीदे गये थे। निगम द्वारा खरीदी गई सभी सामग्री के खरीद आर्डर में यह प्रावधान होता है कि यदि तय गारन्टी में वह सामग्री खराब हो जाती है तो सप्लाई करने वाली फर्म उसे या तो ठीक करके पुन: लौटाती है अन्यथा नयी से बदल देती है। यह एक सतत प्रकिया है। इसी प्रकार उक्त कंपनी के खरीद आर्डर के नियमानुसार ही कंपनी को गारन्टी अवधि में खराब हो गये मीटरों को बदलने हेतु सूचित किया गया। फर्म ने उन मीटरों को या तो ठीक करके लौटाया या नये मीटरों से बदल दिया। किसी अधिकारी द्वारा दिये गये निरीक्षण वाले "लॉट" के सभी मीटर या अधिकांश मीटर कभी भी खराब नहीं हुये हैं अर्थात गारन्टी अवधि में खराब होने वाले मीटर विभिन्न "लॉटस" के हैं, जो कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के पश्चात ही फील्ड में लगाये जाते हैं। अत: किसी अधिकारी विशेष पर कार्यवाही नहीं की गई।

(3) जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में ट्रान्सफार्मर खरीदे गये जिनका क्रय आदेश के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण करवाया गया है।

(4) जी हां। यह सही है कि निरीक्षण रिपोर्ट पर दो प्रकरणों में अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्धन) द्वारा संबंधित निरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

(ऊर्जा मंत्री)

प्रकरण-1

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निरीक्षणकर्ता श्री राजीव वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (योजना), अजमेर को अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्धन), अजमेर के पत्र क्रमांक 2283 दिनांक 12.6.2009 के द्वारा फर्म मै. वायरमैन इलेक्ट्रीकल्स, उदयपुर के संस्थान पर 50 नग 25 के.वी.ए. के ट्रान्सफार्मर निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया था। निरीक्षणकर्ता ने निरीक्षण रिपोर्ट पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.6.2009 के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करने पर निम्न कमियां पायी गई:-

1. निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट फर्म के संस्थान पर निरीक्षण के तुरन्त पश्चात फैक्स नहीं की थी।
2. निरीक्षणकर्ता द्वारा ट्रान्सफार्मर पर दो पालीकार्बोनेट सील एवं दो लैड सील के स्थान पर चार पालीकार्बोनेट सील लगायी गयी थीं।

निरीक्षणकर्ता से संदर्भ में पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 17.6.2009 के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके प्रत्युत्तर में निरीक्षणकर्ता ने पत्र संख्या स्पेशल-1 दिनांक 19.6.2009 के द्वारा सूचित किया कि :-

1. फर्म के संस्थान में फैक्स मशीन नहीं होने के कारण निरीक्षणकर्ता रिपोर्ट फैक्स नहीं कर पाये।
2. लैड सील निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्रान्सफार्मर के चारों कोनों पर चार पालीकार्बोनेट सील लगायी गयी थी।

प्रकरण-2

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निरीक्षणकर्ता श्री राजीव वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (योजना), अजमेर को अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्धन), अजमेर के पत्र क्रमांक 1835 दिनांक 2.6.2009 के द्वारा फर्म मै. रानीसती वायर प्रा.लि., जयपुर के संस्थान पर 100 नग 25 के.वी.ए. के ट्रान्सफार्मर निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया था।

निरीक्षणकर्ता ने निरीक्षण रिपोर्ट पत्र संख्या शून्य दिनांक 13.06.2009 के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करने पर निम्न कमियां पायी गई :-

1. निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट फर्म के संस्थान पर निरीक्षण के तुरन्त पश्चात फैक्स नहीं की थी।

(ऊर्जा मंत्री)

2. निरीक्षणकर्ता द्वारा ट्रान्सफार्मर पर दो पालीकार्बोनेट सील एवं दो लैड सील के स्थान पर चार पालीकार्बोनेट सील लगायी गयी थी।

निरीक्षणकर्ता से संदर्भ में पत्र क्रमांक 2478 दिनांक 17.06.2009 के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके प्रत्युत्तर में निरीक्षणकर्ता ने पत्र संख्या स्पेशल-1 दिनांक 18.6.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि :-

1. फर्म के संस्थान में फैक्स मशीन नहीं होने के कारण निरीक्षणकर्ता रिपोर्ट फैक्स नहीं कर पाये।
2. लैड सील निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्रान्सफार्मर के चारों कोनों पर चार पालीकार्बोनेट सील लगायी गयी थी।

(5) उक्त कमियां तकनीकी प्रकृति की नहीं थीं। अत: उक्त निरीक्षणकर्ता द्वारा ट्रांसफार्मर सीलिंग नियमानुसार पुन: दो पालीकार्बोनेट एवं दो लैड सील लगाने के पश्चात ही 50 नग ट्रांसफार्मर की सप्लाई प्राप्त की गई जो कि क्रय आदेश के प्रावधानों के तहत निगम की सेन्ट्रल जांच प्रयोगशाला में जांच में सही पाने के पश्चात ही स्वीकृत की गई। अत: उक्त प्रकरण में निरीक्षणकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं बनती है।

खाद्यान्न सामग्री में मिलावट को रोकने हेतु अभियान

217. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्यान्न सामग्री में मिलावट को रोकने का अभियान चलाया जा रहा है? यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत अब तक कितने निर्माताओं एवं व्यापारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये?

उत्तर

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा पीएफए एक्ट 1954 में निहित प्रावधान अनुसार जिला, संभाग व निदेशालय स्तर पर खाद्य निरीक्षक नियुक्त कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच व नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है व आवश्यकतानुसार विशेष अभियान भी चलाया जाता है। वर्ष 2009 में दिनांक 22.06.2009 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर व सामान्य रूप से खाद्य पदार्थ निर्माता/विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई मिलावट का संदेह होने पर दिनांक 22.06.2009 से 20.02.2010 तक 3841 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से 743 नमूने अपमिश्रित/ मिसब्राण्ड

(चिकित्सा मंत्री)

पाये गये। अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये 643 प्रकरणों में 383 प्रकरणों में दोषी मालिकों के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके तथा शेष 260 प्रकरणों में अनुसंधान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुसंधान पूर्ण होते ही चालान प्रस्तुत कर दिये जावेंगे।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में नियम विरुद्ध वैट वसूली

218. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नरेगा में वैट वसूलने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31-8-2009 को सरकार द्वारा इस संबंध में कोई परिपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदेश की अनदेखी करते हुए वैट वसूला गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध लिये गये वैट को वापिस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नरेगा में वैट वसूली के लिये प्रथक से कोई नियम नहीं है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रावधानों की दर पर व्यवसायी को वैट की अदायगी करनी होती है।

(2) जी नहीं। 31.08.2009 को वैट के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(3) सामाजिक अंकेक्षण उपरांत निर्माण सामग्री क्रय में पाई गई अनियमितताओं से उत्पन्न विसंगतियों के निवारण हेतु आदेश एफ 2(64) आरडी/नरेगा/2009-10 दिनांक 10.11.2009 के द्वारा अधिकृत फर्मों के बिलों से वैट की वसूली कर वाणिज्य कर विभाग के बजट मद में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। (आदेश की प्रति संलग्न है) इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

(4) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2009 के क्रम में वसूल की गई वैट की राशि को वापिस लौटाने का राज्य सरकार का इरादा नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर (ग्रामीण) वृत्त में ठेका कार्यों में अनियमितताएं

219. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा-जयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर द्वारा वृत्त जयपुर (ग्रामीण) में पिछले 3 वर्ष में मैसर्स आदर्श इलेक्ट्रीकल्स, सनसिटी इलेक्ट्रीकल्स, सनसिटी एन्टरप्राइजेज द्वारा कार्य ठेके पर करवाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कहा-कहां? यदि हां, तो उक्त फर्म को दिये गये कार्य आदेश की प्रति एवं फर्म को किये गये भुगतान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्म द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में कोई अनियमितताऐं पाई गई हैं? यदि हां, तो उक्त फर्म (ठेकेदार) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्मों से वर्ष 2009 में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड फुलेरा (जी.एस.एस.) पर कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो क्या? कार्य आदेश की प्रति एवं भुगतान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर द्वारा वृत्त जयपुर ग्रामीण में पिछले 3 वर्षों में मैसर्स आदर्श इलेक्ट्रीकल्स, सनसिटी इलेक्ट्रीकल्स, सनसिटी एन्टरप्राईजेज से ठेके पर कार्य करवाये गये हैं। इन फर्मों को दिये गये कार्यादेशों की संख्या एवं भुगतान का फर्मवार विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्यादेशों की संख्या	किया गया भुगतान
1.	मैसर्स आदर्श इलेक्ट्रीकल्स	187	19,76,29,728/-
2.	मैसर्स सनसिटी इलेक्ट्रीकल्स	5	20,21,498/-
3.	मैसर्स सनसिटी एन्टरप्राईजेज	56	41,37,28,38/-

उपरोक्त फर्मों से करवाये गये कार्यों, स्थान, कार्यादेश एवं भुगतान का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट क्रमश: अ, ब, एवं स पर उपलब्ध है।

(2) मैसर्स आदर्श इलेक्ट्रीकल्स के कार्य में अनियमितता पाये जाने पर मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण), जयपुर डिस्काम, जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2197 दिनांक 2.2.2010 द्वारा उक्त फर्म को काली सूची में डाला गया है एवं पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 2.2.2010 के निर्देशानुसार उक्त

(श्री ऊर्जा मंत्री)

फर्म के विरुद्ध सहायक अभियन्ता (पवस), जेपीडी, वी.के.आई.ए. मुरलीपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु व्यक्तिश: रिपोर्ट दी गई है जो कि अभी भी उनके अनुसंधान में है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

220. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के चिकित्सालयों में कनिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्स प्रथम व द्वितीय, कम्पाउण्डर, मुख्य स्वास्थ्य कार्मिक व लेबटेक्नीशियन के पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्तियों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं जिन्हें विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। स्वाईन फ्लू की रोकथाम हेतु अरजेन्ट टेम्परेरि बेसिस पर चिकित्सा अधिकारी के 600 रिक्त पदों को अधिकतम 6 माह के लिए अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से झालावाड़ जिले में चिकित्सकों के 9 रिक्त पदों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को वाक-इन-इन्टरव्यू से भरने हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को साक्षात्कार उपरान्त शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नेत्र सहायक, दन्त टैक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	12	8
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4	1
ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	16	5
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1
नर्स श्रेणी प्रथम	5	2
नर्स श्रेणी द्वितीय	36	3
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	8	1
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	91	8
रेडियोग्राफर	1	1
सहायक रेडियोग्राफर	2	1
लैब टैक्नीशियन	12	8
फार्मासिस्ट	2	2
नेत्र सहायक	2	1
दन्त टैक्नीशियन	1	1
एम.पी.डब्ल्यू	15	-
एस.एम.पी.डब्ल्यू	2	-

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) में राजस्व कार्मिकों के रिक्त पद

312. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) क्षेत्र में अधिकारियों, पटवारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत, कितने कार्यरत तथा कितने रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) क्षेत्र में अधिकारियों, पटवारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़	1. उपखण्ड अधिकारी	1	-	1
		2. शीघ्र लिपिक	1	-	1
		3. व.लि.	1	1	-
		4. क.लि.	1	1	-
		5. च.श्रे. कर्म.	1	1	-
2.	तहसीलदार शेरगढ़	1. तहसीलदार	1	1	-
		2. ना. तहसीलदार	2	2	-
		3. भू.अ.नि./आफिस कानूनगो	7	4	3
		4. पटवारी	43	26	17
		5. कनि. लेखाकार	1	1	-
		6. तहसील राजस्व लेखाकार	1	-	1
		7. व. लिपिक	3	2	1
		8. क. लिपिक	9	7	2
		9. वाहन चालक	1	-	1
		10. च.श्रे. कर्म.	22	21	1

(राजस्व मंत्री)

(2) पटवारियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा चुका है। अब इसके लिये पटवार प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त इन्हें रिक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी का पद कार्मिक विभाग द्वारा भरा जाता है। इसके लिये उक्त विभाग को लिखा गया है।

भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के लिये संभागीय आयुक्त को लिखा गया है।

वरिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के लिये जिला कलक्टर जोधपुर/राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है।

तहसील राजस्व लेखाकार के रिक्त पद को भरने हेतु निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद को भरने हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर से अनुरोध किया गया है।

सीधी भर्ती के अन्य रिक्त पदों यथा कनिष्ठ लिपिक, शीघ्र लिपिक, वाहन चालक एवं च.श्रे. कर्म. के पदों को भरने के लिये जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मण्डल को लिखा गया है।

इस प्रकार समस्त रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर विधान सभा क्षेत्र में श्मशान व कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण

313. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर स्थित गांवों में कितना-कितना रकबा श्मशान व कब्रिस्तान के नाम दर्ज है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर गांवों में श्मशान व कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमि पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अनिता सिंह)

(4) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों के श्मशान व कब्रिस्तान की चारदीवारी हो गई है और कितनों की बकाया है? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के तहसील नगर क्षेत्र में श्मशान का कुल रकबा 52.52 हैक्टे. एवं कब्रिस्तान का कुल रकबा 33.86 हैक्टे. है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नगरपालिका क्षेत्र नगर में 0.65 हैक्टे. कब्रिस्तान की भूमि पर पहले से ही लगभग 25 वर्षों से आवासीय कालोनी बसी हुई है।

(3) उक्त भूमि पर आवासीय कालोनी बस चुकी है तथा यह भूमि वर्तमान में नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में है। अत: इस प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

(4) तहसील क्षेत्र नगर में 32 श्मशानों व 32 कब्रिस्तानों की चारदीवारी हो गई है एवं 155 श्मशानों व 75 कब्रिस्तानों की चारदीवारी बकाया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन उप तहसील

314. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कौन-कौनसी नई उप तहसील खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नई उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी जगह एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में कोई भी नई उप तहसील खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी नहीं। जनगणना 2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से जिलों,

(राजस्व मंत्री)

तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। अत: वर्तमान में राज्य सरकार कोई नई उप तहसील खोलने का विचार नहीं रखती है।

देवगढ़ तहसील (राजसमंद) के उपखण्ड कार्यालय में रिक्त पद

315. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम की तहसील देवगढ़ में उपखण्ड कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से पद सृजित व कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.9.09 के द्वारा तहसील देवगढ़ में उपखण्ड का नवीन सृजन किया गया है, जिसके लिये निम्नांकित पद स्वीकृत हैं :-

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	उपखण्ड अधिकारी	1
2.	स्टेनो	1
3.	कनिष्ठ लिपिक	2
4.	च.श्रे. कर्म.	2

अभी तक उपखण्ड अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं होने से से नवसृजित कार्यालय का संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है। समस्त जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि जब तक कार्मिक विभाग द्वारा नवीन सृजित उपखण्डों में उपखण्ड अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है तब तक नवसृजित उपखण्ड का अतिरिक्त कार्यभार उस उपखण्ड अधिकारी को दिलाकर कार्यालय प्रारम्भ कराया जावे, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसे नवसृजन से पूर्व उक्त तहसील थी। उक्त कार्यवाही के बाद नवसृजित उपखण्ड कार्यालय का संचालन शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

बस्सी तहसील (जयपुर) की रेफरेंस भूमि

316. श्री विनोद कुमार 'लीलावाली' (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विनोद कुमार)

(1) क्या यह सही है कि 'अब्दुल रहमान' प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1947 की स्थिति बहाल करने संबंधी निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो तहसील बस्सी (जयपुर) में कहां-कहां, किन-किन व्यक्तियों की भूमि उक्त रेफरेंस में जोड़ी जा चुकी है? खसरा नं. रकबा, गांव का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार कब तक उक्त रेफरेंस में जोड़ी गई भूमि का कब्जा लेने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बस्सी के जिन प्रकरणों में रेफरेंस प्रस्तुत किये है उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत रेफरेंस में निर्णय होने पर निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दयालपुरा ग्राम (जयपुर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

317. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम दयालपुरा, पंचायत एवं पटवार हल्का हंसमहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में संवत् 2050 में चरागाह भूमि कितनी-कितनी एवं कौन-कौन से खसरा नम्बरान में थी? पूर्व एवं वर्तमान खसरा नम्बरान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम के वर्तमान खसरा नं. 160 एवं 162 में जो चरागाह भूमि दर्ज है, की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भू-माफिया द्वारा अवैध ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या पटवारी हल्का द्वारा राज्य सरकार को उक्त अतिक्रमण के बारे में सूचित किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 21 जनवरी, 2008 को ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 8 पास कर उपखण्ड अधिकारी को उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त संबंध में भेजे गये पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुन्दरलाल)

(4) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटवा कर दोषी अधिकारी/ कर्मचारी एवं अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में संवत 2050 में चरागाह भूमि की स्थिति ख. नम्बरान निम्न है :-

ख. नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म जमीन
49	10.19	चरागाह
131 मि.	32.00	चरागाह
138	6.07	चरागाह
140	11.17	चरागाह
142	4.05	चरागाह
144	3.15	चरागाह
160	14.10	चरागाह
162	72.16	बंजड/चरागाह
योग :- कुल किता 8	156.09	

पूर्व व वर्तमान जमाबंदी संवत 2048-51 व 2064-67 की प्रतियां संलग्न है।

(2) ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी के ख.नं. 160 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा एवं ख.नं. 162 रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा चरागाह के अन्तर्गत दर्ज रिकार्ड है। उक्त दो ख. नम्बरों की चरागाह भूमि ग्राम में उपलब्ध है। उक्त खसरा नम्बरान में श्री मनोज पौद्दार मयूर बिहार कालोनाईजर्स दौसा, मलारना निवासी मकान नं. 1209 बरकत नगर जयपुर द्वारा अवैध ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है। उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट पेश की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	संवत	ख. नं.	रकबा (बीघा में)
29.1.08	2064	160 162	0.02 01.11
09.02.10	2065	160 162	0.10 2.00

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 21.1.2008 ग्राम सभा हंसमहल का पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बस्सी में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(4) अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी के द्वारा दिनांक 4.3.2010 को बेदखली एवं पैनल्टी का निर्णय पारित हो चुका है। बेदखली की क्रियान्विति हेतु ग्राम पंचायत हंसमहल पं. स. बस्सी को संसाधन एवं मजदूर उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार द्वारा लिखा गया है। संसाधन उपलब्ध होते ही अतिक्रमण हटा दिया जावेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले के कृषि अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ

318. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में ऐसे कितने कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कार्यरत/सेवानिवृत्त हैं जिनका पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के तहत वेतन नियतन नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक कृषि अधिकारियों का वेतन नियतन किन कारणों से नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के तहत लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के तहत लाभ नहीं दिये जाने से उक्त कार्मिकों को हुए नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में 8 कार्यरत व 3 सेवानिवृत्त कृषि पर्यवेक्षकों का तथा 2 कार्यरत व 4 सेवानिवृत्त तदर्थ सहा. कृषि अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन नियतन नहीं किया गया है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त कृषि पर्यवेक्षकों/सहा. कृषि अधिकारियों को वेतन नियतन नहीं करने का कारण परिशिष्ट-1 में अंकित कर प्रस्तुत है।

(3) जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. अपीलों, एकलपीठ रिमाण्ड अपीलों का निर्णय प्राप्त होगा, निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा अन्तिम विनिश्चय कर लेने पर, प्राप्त निर्देशानुसार सेवानिवृत्त/कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों/तदर्थ सहा. कृषि अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन निर्धारण कर दिया जावेगा।

इसके अतिरिक्त ऐसे कार्मिकों के वेतनमान प्रकरणों को माननीय न्यायालय में दायर डी.बी. अपीलों व एकलपीठ अपीलों को दृष्टिगत रखते हुए महाधिवक्ता महोदय, राज. उच्च न्यायालय की राय अनुसार वित्त विभाग ने आई.डी. सं. 220901441 दि. 07.08.2009 के द्वारा उक्त अपीलों के निर्णयाधीन ऐसे कार्मिकों से वचनबद्धता प्राप्त/प्रस्तुत करने पर विभागीय परिपत्र दि. 12.10.98 के अनुसार चयनित वेतनमान दिए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। इनमें से 13 कार्मिकों द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में व माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण लम्बित होने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में लाभ देना लम्बित है। शेष 4 कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतनमान प्रकरण माननीय न्यायालय में लम्बित वादों से संबंधित नहीं होने के कारण लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अन्तर्गत इन कार्मिकों को माननीय न्यायालयों में दायर अपीलों के निर्णय उपरान्त उस पर राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय कर लेने पर प्राप्त निर्णयानुसार लाभ दिया जावेगा। वेतनमानों का लाभ राज्य सरकार की अधिसूचना 12.09.2008 के अनुसार देय तिथि से ही देय होता है, इस कारण कोई नुकसान नहीं होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

319. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राशन विक्रेता के विरुद्ध जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री सूरजभान)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए और नवीन राशन विक्रेता नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्क्ष्मणगढ़ के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध जनवरी, 2009 से अब तक 9 अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में 16 स्थानों हेतु नवीन राशन विक्रेता नियुक्त करने का विचार रखती है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (सूची संलग्न है परिशिष्ट-ख)

(विवरण व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर जिले में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति हेतु लम्बित आवेदन

320. सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बीकानेर में नए राशन डीलरों की नियुक्ति हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं तथा वर्तमान में कितने राशन डीलर कार्यरत हैं? क्या सरकार राशन डीलरों की नई नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिले में नये राशन डीलर की नियुक्ति हेतु वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

वर्तमान में 759 राशन डीलर कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नये राशन डीलरों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी कर दी जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में राशन सामग्री का वितरण

321. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराज समेजा)

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान के डीलरों की मार्फत किस-किस सामग्री का वितरण हो रहा है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में डीलरों द्वारा बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं एवं चीनी का वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ाने एवं युक्तिपूर्ण बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चीनी, आटा, दाल, चावल व केरोसीन का वितरण किया जा रहा है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उचित मूल्य की दुकान के डीलरों द्वारा बीपीएल परिवारों को गेहूं व चीनी तथा एपीएल परिवारों को गेहूं का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा चीनी का आबंटन केवल बीपीएल परिवारों के लिये ही किया जाता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने के संबंध में बजट भाषण 2010-11 में घोषणा कर दी गई है। बजट घोषणा के अनुसार खुदरा विक्रेता का कमीशन 20/- रुपये प्रति क्विंटल एवं खाली बोरी तथा थोक विक्रेता का कमीशन 10/- रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

किशनगढ़बास व कोटकासिम उपखण्ड में नवीन गैस एजेन्सियां

322. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कौन-कौनसी गैस एजेन्सी कार्यरत है?

(2) क्या उक्त गैस एजेन्सियां विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के लिए पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपखण्ड किशनगढ़बास तथा कोटकासिम में नई गैस एजेन्सियां स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में खैरथल इण्डेन गैस एजेन्सी कार्यरत है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के आधार पर किशनगढ़बास में नई गैस एजेन्सी खोले जाने का प्रस्ताव इण्डस्ट्री मार्केटिंग प्लान 2008-10 द्वारा अनुमोदित हो चुका है तथा शीघ्र ही उसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। कोटकासिम में एक गैस एजेन्सी राजीव गांधी एल.पी.जी. वितरक योजना के अन्तर्गत खोला जाना विचाराधीन है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चयनित परिवारों को राशन सामग्री का वितरण

323. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राशन की दुकानों पर वर्ष 2009-10 में बी.पी.एल. परिवारों के लिए चीनी, तेल, गेहूं इत्यादि का उठाव कितना किया गया?

(2) क्या राशन डीलरों द्वारा गेहूं, तेल, चीनी इत्यादि का निर्धारित मात्रा में उठाव करके जनता में वितरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ग्राम मुख्यालय पर राशन की दुकान होते हुए भी पंचायत के अन्य गांवों की दूरी अधिक होने के कारण पंचायत में अन्य जगह दूसरी दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव में राधागोविन्दपुरा, कोलीवाड़ा, सुरपुरा की दूरी पंचायत मुख्यालय से अधिक होने के कारण ग्राम सरपुरा में राशन की दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राशन की दुकानों पर वर्ष 2009-10 में (माह फरवरी, 2010 तक) बीपीएल परिवारों के लिये 804.40 क्विंटल चीनी एवं 8250 क्विंटल गेहूं का उठाव किया गया है तथा केरोसीन तेल का बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिये पृथक् से कोटा आबंटित नहीं किया

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जाता है। ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्य सभी श्रेणियों के लिये आबंटित कोटा में से एक समान मात्रा में केरोसीन तेल का वितरण किया जाता है। इस आधार पर कुल 1668 किलो लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है।

(2) जी हां। राशन डीलरों द्वारा गेहूं, तेल, चीनी इत्यादि का निर्धारित मात्रा में उठाव कर वितरण किया गया है। ग्राम पंचायत नायला व ग्राम पंचायत जमवारामगढ़ के वितरण केन्द्र लाली के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा माह जनवरी, 2010 में केरोसीन का उठाव नहीं किया गया है। इस संबंध में उक्त दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा उकत पंचायतों के उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य वस्तुओं के सुचारू वितरण व्यवस्था हेतु उक्त दुकानों के अन्य पंचायतों के उचित मूल्य दुकानदारों के अस्थायी रूप से सम्बन्ध किया जाकर वितरण कराया जा रहा है।

(3) जी हां। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नई राशन की दुकानें खोली जाने के सम्बन्ध में आबंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। यथाशीघ्र नवसृजित दुकानें खोली जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकान खोले जाने वाली ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राशन की दुकानों के अतिरिक्त पंचायत के अन्य गांवों की दूरी अधिक होने के कारण पंचायत में अन्य स्थानों पर दूसरी दुकानें खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खोले जाने वाली नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव में राधागोविन्दपुरा, कोलीवाडा, सरपुरा की दूरी पंचायत मुख्यालय से अधिक होने के कारण ग्राम सरपुरा में नई दुकान खोला जाना प्रस्तावित है, जिसकी शीघ्र ही आबंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में द्विविवाह करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही

324. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारी द्वारा द्विविवाह, वर्जित होने के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता में भी अपराध माना गया है?

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2007 से 2009 में जिला कोटा के कई राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध?

(3) उक्त प्राप्त शिकायतों के संबंध में अब तक किन-किन चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा जांच करवाई जाकर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। डा. रामनारायण यादव, चिकित्सा अधिकारी, जिला कोटा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) डा. रामनारायण यादव के विरुद्ध उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर डा. एस.एन. माथुर, संयुक्त निदेशक एवं तकनीकी सलाहकार, निदेशक (जन स्वास्थ्य) के द्वारा की गई जांच एवं माननीय जिला न्यायाधीश, बूंदी के निर्णय दिनांक 22.02.2007 के अनुसार डा. यादव के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे गये हैं जहां कार्यवाही विचाराधीन है।

सादुलपुर में 108 एम्बुलेंस की सुविधा

325. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 गुजरता है?

(2) क्या यह भी सही है कि सादुलपुर से बहल, सादुलपुर से पिलानी, सादुलपुर से भादरा वाया सिधमुख, सादुलपुर से तारानगर आदि मार्ग भी जाते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व अन्य मार्गों पर सालासर, ददरेवा व रुणिचा जाने वाले तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ रहती है व लाखों पदयात्री इन मार्गों से आते-जाते हैं?

(श्रीमती कमला कस्वां)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्गों पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई जानें गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सादुलपुर में 108 एम्बुलेंस चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वर्ष 2009-10 में 150 प्रतिस्थापित होने वाली 108 एम्बुलेंसों में से सादुलपुर में एम्बुलेंस दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विद्युत वितरण निगम, अजमेर में कर्मचारियों का स्थानांतरण

326. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत निगम में कर्मचारियों की स्थानान्तरण की कोई नीति बनी हुई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्या सरकार निगम में स्थानान्तरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विद्युत वितरण निगम-अजमेर में वर्गानुसार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 2006 से दिसम्बर, 2009 तक वर्षवार व वर्गानुसार कितने स्थानान्तरण किये गये?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सहायक द्वितीय, चपरासी, मीटर पाठक एवं लिपिकों के स्थानान्तरण जिले के बाहर न करने के आदेश जारी किए गए हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में अजमेर निगम प्रशासक द्वारा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के 300 से 500 किमी. दूर स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त स्थानान्तरणों के कारण निगम पर कितनी राशि का अतिरिक्त प्रभार पड़ा है?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत निगमों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति बनी हुई है। स्थानान्तरण नीति की प्रति प्रपत्र-'अ' उपलब्ध है।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम में वर्गानुसार एवं वर्षानुसार कार्यरत कर्मचारियों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) अजमेर विद्युत वितरण निगम में माह दिसमबर 2006 से माह दिसम्बर 2009 तक वर्षानुसार एवं वर्गानुसार स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों का विवरण प्रपत्र-'स' पर उपलब्ध है।

(4) स्थानान्तरण नीति के अनुसार यथासम्भव अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके गृह जिले अथवा उसके समीप ही स्थानान्तरित किया जाता है। केवल प्रतिकूल टिप्पणी/शिकायत के आधार पर ही गृह जिले के बाहर स्थानान्तरण किया जाता है।

(5) जी हां। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा निम्न कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है :-

मंत्रालयिक - 1

तकनीकी - 4

(6) उक्त स्थानान्तरणों के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर 2,35,008.00 रुपये का अतिरिक्त प्रभार पड़ा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना

327. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जोधपुर नगर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना कब तक लागू होगी तथा बजट प्रावधानों की क्या स्थिति है? क्या विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की इस योजना में बढ़ता भू-जल स्तर बाधक बनेगा? यदि हां, तो कैसे?

(3) जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र तथा भगत की कोठी क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन के कारण कई मौतें भी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

हाइटेंशन लाइन को भूमिगत करवाने या अन्यत्र शिफ्ट करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर की बढ़ती विद्युत आवश्यकता एवं शहर के भीतरी हिस्सों में संकरी सड़कों एवं गलियों की वजह से नयी लाइनें खींचना कठिन हो रहा है। अत: भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शहर के भीतरी भाग के लिए 11 के.वी. की 135.39 किमी एवं एल. टी. की 241.78 किमी लाइनों को भूमिगत करना प्रस्तावित है। साथ ही इस योजना में 76 नये ट्रासंफार्मर लगाना प्रस्तावित है। योजना की कुल लागत 106.16 करोड़ रुपये है।

(2) इस योजना के वित्तीय प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित RAPDRP योजना में प्रस्ताव बनाए गए हैं। जिसकी स्वीकृति वर्ष 2010-11 में अपेक्षित है। इस कार्य योजना में बढ़ता हुआ भू-जल स्तर बाधक नहीं बनेगा।

(3) जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र एवं भगत की कोठी क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन के कारण कोई मौत नहीं हुई है। भगत की कोठी क्षेत्र में लाइन भूमिगत करने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

खारीयानीव ग्राम (सोजत) में ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

328. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम खारीयानीव में ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हैं? क्या सरकार खारीयानीव में ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम खारीयानीव में 132 के.वी. अथवा 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के मद्देनजर प्रस्ताव के प्राप्त होने तथा उसके तकनीकी, आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने एवं संसाधनों की उपलब्धता व विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

329. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में कितने 400/132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां स्थित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में विधान सभा क्षेत्रवार 400/220/132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्रिड सब-स्टेशनों का नाम व स्थान	विधान सभा क्षेत्र
1	220 के.वी. जी.एस.एस. मदार, अजमेर	अजमेर दक्षिण
2	220 के.वी. जी.एस.एस. ब्यावर	ब्यावर
3	220 के.वी. जी.एस.एस. किशनगढ़	किशनगढ़
4	132 के.वी. जी.एस.एस. सराधना	पुष्कर
5	132 के.वी. जी.एस.एस. एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी अजमेर	पुष्कर
6	132 के.वी. जी.एस.एस. नसीराबाद	नसीराबाद
7	132 के.वी. जी.एस.एस. सिलोरा	नसीराबाद
8	132 के.वी. जी.एस.एस. किशनगढ़	किशनगढ़
9	132 के.वी. जी.एस.एस. केकड़ी	केकड़ी
10	400 के.वी. जी.एस.एस. अजमेर ग्राम जाठली में स्वीकृत है।	पुष्कर

इसके अतिरिक्त अजमेर जिले में वर्तमान में 33/11 के.वी. की 72 उपचौकियां स्थापित हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

(ऊर्जा मंत्री)

सावर के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। तकनीकी व वित्तीय रूप से साध्य होने पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रस्ताव भिजवाया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में आवासीय क्षेत्र की विद्युत लाइनों का स्थानान्तरण

330. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम नोसरिया व मिंगसरिया के लोग गांव की आबादी क्षेत्र से 11 के.वी. विद्युत लाइन बाहर करने की मांग काफी समय से कर रहे है?

(2) क्या यह भी सही है कि 11 के.वी. लाइन से गांव में दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है? क्या सरकार उक्त गांवों में से 11 के.वी. लाइन आबादी क्षेत्र से बाहर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नोसरिया-मिंगसरिया गांव के 11 के.वी. लाइन, जो कई वर्षों पूर्व खींची गई थी, के नीचे आबादी बस गई है और लोग लाइन शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं।

(2) जी हां। किसी भी विद्युत लाइन के नीचे अवैध आबादी बसने पर दुर्घटना की आशंका रहती है। यह एक प्रदेश व्यापी समस्या है और नियमानुसार शिफ्टिंग, शुल्क जमा करवाने एवं राइट आफ वे मिलने पर ही शिफ्टिंग की कार्यवाही की जाती है।

डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में घरेलू कनेक्शनों के लम्बित आवेदन

331. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु लगभग 250 से 300 आवेदकों के तथा 10 से 15 कृषि कनेक्शन के आवेदकों को लम्बे समय से डिमाण्ड राशि जमा कराने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के स्टोर्स में गत पांच वर्षों में पुरानी

(श्री रूपाराम डूडी)

लाइन उतारे जाने से कितनी-कितनी सामग्री प्राप्त हुई? विवरण मय भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु लगभग 495 आवेदकों के तथा 1 कृषि कनेक्शन के आवेदक का माह जुलाई, 2009 से डिमाण्ड राशि जमा कराने के उपरान्त भी सामग्री की अनुपलब्धता के कारण विद्युत कनेकशन जारी नहीं किए जा सके। सामान की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शीघ्र ही कनेक्शन जारी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के स्टोर्स के गत पांच वर्षों में पुरानी लाइनों के 47875 कि.ग्रा. कण्डक्टर व 1077 जले/खराब ट्रांसफार्मर प्राप्त किये गये हैं एवं उक्त सामान नागौर स्टोर में एम.सी.एन. (मेटेरियल क्रेडिट नोट) द्वारा जमा करा दिया गया है।

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्युत कनेक्शन से वंचित बी.पी.एल. परिवार

332. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2009-10 के दौरान कितने बी.पी.एल. परिवारों को अब तक विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं कितने परिवार अभी लाभांवित होने से वंचित रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्तर्गत कुल 12662 बी.पी.एल. परिवार हैं जिनमें से 10372 परिवारों को घरेलू प्रयोजन हेतु दिनांक 31.03.09 तक विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान माह जनवरी 2010 तक 83 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष 2207 परिवार विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत तंत्र विस्तार कर वर्ष 2011 तक विद्युत सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित है।

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत लाइनों से दुर्घटना की सम्भावना

333. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजकुमार रिणवां)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में अनेक स्थानों पर विद्युत लाइनों के तार ढीले हैं? यदि हां, तो क्या उक्त कारण से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण विद्युत लाइनों का सर्वे करवा कर ढीले अथवा खुले तारों को व्यवस्थित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत ढीले तारों के सम्बन्ध में कुल 90 शिकायतें प्राप्त हुई हैं इनमें से 59 का निस्तारण कर दिया गया है एवं शेष नवीनतम 31 प्रकरणों में वांछित कार्यवाही की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र की लाइनों का प्रभावी नियंत्रण निगम के स्थानीय कर्मचारियों/कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। ढीले एवं खुले तारों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करना निगम की सतत् प्रक्रिया है।

राज्य में प्रस्तावित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

334. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां?

(2) क्या उक्त विश्वविद्यालय को खोलने हेतु बजट प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या उक्त विश्वविद्यालय को खोलने हेतु स्थान के लिए भूमि आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो कहां व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बीकानेर में वर्ष 2010-11 में स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु उक्त विश्वविद्यालय के संचालन के लिए राशि रु. 100.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को वर्तमान में संचालित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के प्रांगण में उपलब्ध भवन में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

जायल विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

335. श्रीमती मंजू देवी (जायल) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के कुल कितने किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत जालनियासर, ग्राम पंचायत जायल में पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में कुल 6 पशु चिकित्सालय जायल, बड़ीखाटू, डेह, कठोति, गठीलासर व झाड़ेली में संचालित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में पशु चिकित्सकों के श्रेणीवार पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	पशु चिकित्सक का पद	
		स्वीकृत	रिक्त
1	जायल	1	1
2	बड़ीखाटू	1	-
3	डेह	1	-
4	कठोति	1	-
5	झाडेली	1	-
6	गठिलासर	1	1

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

(4) वर्तमान में ग्राम पंचायत जालनियासर में नया पशु औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम पंचायत जायल में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पूर्व से ही कार्यरत है।

पशु चिकित्सालय रूपवास में पशु चिकित्सक का पदस्थापन

336. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के तहसील मुख्यालय रूपवास में 6 वर्षों से पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में पशु चिकित्सालय खानसुरजापुर के प्रभारी को सप्ताह में 3 दिन (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास का कार्य करने हेतु निर्देशित कर व्यवस्था की गई है।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिए विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पश्चात् चयनित अभ्यार्थियों में से, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद को विधिवत भरा जाता है।

भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर का उपयोग

337. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर की अधिकतर भेड़ों को बेच दिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितनी भेड़ों को बेचा जा चुका है तथा इससे कितनी राशि प्राप्त हुई है?

(2) वर्तमान में कितनी भेड़ उक्त फार्म में हैं और उक्त फार्म की भेड़ें बेचने के क्या कारण हैं?

(श्री भंवरू खान)

(3) क्या सरकार उक्त फार्म को अन्य उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या योजना है तथा क्या-क्या कार्य किया जायेगा व इसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी?

(4) उक्त भेड़ फार्म में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं एवं इन कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2942 भेड़ों को बेचा जा चुका है। उक्त भेड़ों के विक्रय से 72,23,716 रुपये प्राप्त हुए हैं।

(2) वर्तमान में भेड़ फार्म फतेहपुर में 981 भेड़ें उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार की भेड़ प्रजनन नीति के अनुसार स्थानीय/देशी भेड़ों की नस्लों में सुधार/संधारण के कारण संकर विदेशी भेड़ों को बेचा गया है।

(3) देशी नस्ल की भेड़ों एवं बकरियों के सवंर्धन की योजना प्रस्तावित है।

(4) भेड़ फार्म फतेहपुर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत
1	सहायक निदेशक	1	1
2	व.प. चिकि. अधि.	2	1
3	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	1	-
4	कार्यालय अधीक्षक	1	-
5	कार्या. सहा.	1	1
6	वरिष्ठ लिपिक	2	1
7	कनिष्ठ लिपिक	3	3
8	कृषि सहायक	2	-
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1
10	सांख्यिकी सहा.	1	1
11	पशुधन सहायक	16	9
12	वाहन चालक	3	-
13	विद्युत मेकेनिक	1	-
14	पम्प चालक	1	-
15	च.श्रे. कर्मचारी	11	9
16	गड़रिया	46	12

(पशुपालन मंत्री)

वर्कचार्ज कर्मचारी

1	बिजली मिस्त्री	1
2	पाइप लाइन मिस्त्री	1
3	पम्प मिस्त्री	1
4	पम्प चालक	7
5	हैल्पर	1
6	वाहन चालक	1
7	मुंशी	1
8	बेलदार	2
9	चौकीदार	31
10	स्वीपर	1
11	ग्वालिया	35
12	हाली	21
13	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	6

कर्मचारियों से पूर्व की भांति उनके पद के कार्य के अनुसार भेड़ प्रजनन फार्म संबंधित कार्य लिया जावेगा।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

338. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पशु चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में कुल कितनी भैंसों को कुडकी लगाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कुडकी लगाई गई भैंसों में से कितनी मर चुकी हैं एवं इनके मालिकों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ के पशु चिकित्सालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत व कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा किन-किन पदों पर प्रतिनियुक्ति कब से है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पशु चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में पंचायत समिति द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कुल 272 भैंसों को कुडकी लगाई गई। जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना	2007-08	2008-09
1	पोप योजना	80	46
2	एस.जी.एस.वाई	59	27
3	स्वयं सहायता समूह	-	60
	योग	**139**	**133**

(2) कुडकी लगाई गई भैसों में से 1 भैंस की मृत्यु हुई है। जिसके बीमा क्लेम राशि रु. 12500/- का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जा चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ के पशु चिकित्सालय में पदों का विवरण निम्न है।

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद संख्या
1	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधि.	01	01
2	पशु चिकित्सा सहायक	01	01
3	पशुधन सहायक	02	0
4	गडरिया	01	0
5	सफाईकर्ता	01	0
6	पशुधन परिचर	02	0

पशु चिकित्सालय भोपालगढ़ में किसी भी पद पर कोई प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है। एक पशुधन सहायक माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश अनुसार पशु चिकित्सालय भोपालगढ़ में कार्यरत है।

प्रश्न संख्या-339

(स्थगित)

अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति में असमानता

340. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ. लि., अलवर ने अपने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है? यदि हां, तो वर्ष 1985 से 2009 के मध्य मृतक कर्मचारी का नाम, मृत्यु तिथि कर्मचारियों की मृत्यु के समय स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण, नियुक्त किये गये मृतक आश्रितों का नाम, पद नाम, नियुक्ति तिथि, नियुक्ति के समय शैक्षिक व अन्य योग्यता के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अलवर में मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के क्या मानदण्ड अथवा नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी जैसी समान शैक्षिक योग्यताधारियों को पृथक्-पृथक् पद पर नियुक्ति देने के मानदण्ड हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के बारे में भेदभाव बरता गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985 से 2009 के मध्य मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) संघ में मृतक आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति संघ के उपनियमानुसार गठित संस्थापन समिति/संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया जाकर एवं सामान्यतया राज्य सरकार/सहकारिता विभाग/आरसीडीएफ जयपुर के द्वारा समय-समय पर जारी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में आदेश/निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: फा. 15 (136)/सविरा/निशा/प-3/05 दिनांक 02.02.06 की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(डेयरी राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले की मिड-डे-मील निगरानी समिति की बैठकें

341. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मिड-डे-मील योजना के सफल संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन कर इनमें विधायकों को मनोनीत किया गया है?

(2) जिला भरतपुर में इन समितियों की कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई तथा बैठकों में किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति की बैठकों में विधायकों को आमंत्रित किया गया? यदि हां, तो भरतपुर जिले में कौन-कौन से विधायकों को कब-कब सूचना भेजी गई और कौन-कौन विधायक उपस्थित रहे? क्या विधायकों को सूचना नहीं भेजी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा मिड-डे-मील योजना के सफल संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन कर, इनमें विधायकों को मनोनीत किया गया है।

(2) भरतपुर जिले में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत समिति की बैठकें निम्न दिनांकों को आयोजित की गई- 04.03.09, 12.06.09, 30.07.09 एवं 25.09.09 - बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया:- (1) खाद्यान्न का उठाव, उपयोग एवं उपलब्धता (2) वित्तीय प्रगति एवं कुकिंग कनवर्जन हेतु राशि की उपलब्धता (3) अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण (4) विद्यालयों में बर्तन एवं किचिन शैड निर्माण की स्थिति पर चर्चा (5) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के प्रबन्धन पर चर्चा (6) माइक्रोन्यूट्रियेन्ट एवं अन्य चिकित्सकीय गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा (7) पोषाहार परिवहन पर चर्चा (8) खण्ड स्तरीय समितियों की बैठक की समीक्षा एवं (9) आनलाइन साफ्टवेयर पर फीड की गयी सूचनाओं की प्रगति की समीक्षा।

(3) जी नहीं। नवगठित विधान सभा के दो विधायकों श्रीमती जाहिदा एवं श्रीमती अनिता सिंह का मनोनयन राज्य सरकार के आदेश दिनांक

(पंचायती राज मंत्री)

01.09.09 के पश्चात् केवल दिनांक 25.09.09 को एक मीटिंग आयोजित की गई इसमें जिले के मनोनीत विधायकों को सूचना नहीं भेजी गयी। सूचना नहीं भेजने हेतु तत्कालीन सदस्व सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।

पंचायतीराज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता

342. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेगें:-

(1) राज्य में पंचायतीराज संस्था, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ता नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार पंचायतराज संस्थाओं के सदस्यों को मासिक एवं टेलीफोन भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पंचायतराज संस्था, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ता दिये जाने का पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। पंचायतराज संस्थाओं के सदस्यों को मासिक एवं टेलीफोन भत्ता दिये जाने का पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि

343. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2009-2010 में फरवरी तक प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज को राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं की कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई और आबंटित राशि के मुकाबले जिले में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि फरवरी, 2010 तक व्यय की गई? योजनावार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2009-10 में फरवरी तक प्रतापगढ़ जिले में राज्य व केन्द्र योजनाओं के लिये योजनावार एवं पंचायतवार आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर की लाइब्रेरी भवन हेतु स्वीकृत राशि

344. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट जयपुर की लाइब्रेरी भवन हेतु विधायक कोष की राशि से वर्ष 2008 में राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी राशि एवं किस-किस कार्य हेतु? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि से लाइब्रेरी भवन का निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो किस स्थान पर व क्या तामीरात की गई? निर्मित किए जाने वाले भवन का मानचित्र एवं तख्मीने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को अन्य उपयोग में भी लिया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि किस उपयोग में व किन आदेशों से? विवरण मय आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, जयपुर की लाइब्रेरी भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु विधायक कोष की राशि वर्ष 2008 में दिनांक 26.9.2008 राशि रुपये 3.00 लाख रुपये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है एवं उसके पश्चात दिनांक 3.10.2008 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त राशि से बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट जयपुर में स्थित लाइब्रेरी भवन में मरम्मत कार्य करवाये गये। तकमीने की प्रति परिशिष्ट-स पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। उक्त राशि एडवोकेट्स बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, जयपुर लाईब्रेरी भवन मरम्मत के कार्य के लिए ही उपयोग में लिया गया है।

उक्त कार्य में 2.55622 रुपये का उपयोग किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अन्त्योदय सूची में चयन हेतु सर्वे

345. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में अन्त्योदय सूची में चयन से वंचित रहे परिवारों को चयनित करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार नये बी.पी.एल. सर्वे का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्रामीण बीपीएल सर्वे वर्ष 1997 एवं शहरी क्षेत्र में बीपीएल सर्व वर्ष 2003 के अनुसार बीपीएल में से चयनित अन्त्योदय परिवारों को ही अन्त्योदय योजना में लाभान्वित किया जा रहा है।

नवीन बीपीएल सर्वे सूची 2002 में चयनित बीपीएल परिवारों के संबंध में प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है, जिसके संबंध में निर्णय होने के पश्चात ही वंचित अन्त्योदय परिवारों को चयन करना सम्भव होगा।

(2) बीपीएल सर्वे का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर सर्वे की कार्यवाही की जावेगी।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

346. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बांसवाड़ा जिले में परिवार नियोजन पर व्यय राशि

347. श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक कितने परिवार नियोजन के आपरेशन किये गये? ब्लाकवार सूचना सदन की

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

मेज पर रखें। इस संबंध में जिला स्तर से भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक स्तर की सूचना एवं जिले में भेजी गई सूचना में भिन्नता है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त जिले में 1 अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक परिवार नियोजन पर किस-किस मद में कितना-कितना भुगतान किया गया तथा प्रोत्साहन के रूप में कितना नकद/बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक राजकीय चिकित्सालयों में 5453 परिवार नियोजन के आपरेशन किये गये जिनकी ब्लाकवार सूचना निम्न प्रकार है :-

ब्लाक/राजकीय चिकित्सालय का नाम	नसबन्दी केसेज
तलवाड़ा	994
आनन्दपुरी	215
घाटोल	725
कुशलगढ़	650
परतापुर	879
छोटी सरवन	555
बागीदौरा	694
छोटा डूंगला	585
एम.जी. अस्पताल	156
योग	**5453**
निजी चिकित्सालय एवं राज्य के बाहर के केसेज	479
कुल केसेज	**5932**

उक्त 479 केसों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 2240 दिनांक 13.03.2010 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(परिवार कल्याण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जिले में 1 अप्रैल, 2009 से दिसम्बर 2009 तक परिवार नियोजन पर मदवार निम्नानुसार भुगतान किया गया:-

क्र.सं.	**मद**		**राशि (रुपयों में)**
1	नसबन्दी शिविर व्यवस्था वाहन हेतु पीओएल		63213.00
2	नसबन्दी क्षतिपूर्ति राशि	(अ) प्रोत्साहन एवं प्रेरक राशि	414600.00
		(ब) सर्जन टीम मानदेय, दवाइयां एवं विविध व्यय	162523.00
3	महिला नसबन्दी शिविर व्यवस्था		546785.00
	कुल		**4877121.00**

उपरोक्त में प्रोत्साहन एवं प्रेरक राशि रुपये 4104600/- का नकद भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. सीकर जिले में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को बकाया ऋण व ब्याज से राहत पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. राज्य में नई औद्योगिक नीति एवं शेखावाटी क्षेत्र के नये औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रोथ सेंटर्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

4. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ को टैक्स फ्री औद्योगिक जोन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. घड़साना क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व बंद पड़े उद्योगों को पुन: प्रारम्भ करने हेतु विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

7. बाड़मेर रीको औद्योगिक क्षेत्र में IIIrd Phase का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

8. रीको क्षेत्र में औद्योगिक भूमि अलोट होने के बाद निर्धारित समय में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले भूखण्डधारियों के खिलाफ कार्यवाही कर अन्य लोगों को आबंटन करने एवं औद्योगिक आबंटन का व्यावसायिक उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये
9. सीकर जिले में औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

10. राज्य में बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

11. अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान में हो रही उपेक्षा एवं अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

12. विधान सभा क्षेत्र नावां में निजी नमक उत्पादकों द्वारा सांभर साल्ट की भूमि पर अवैध कब्जे करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा, किशनगढ़ रेनवाल का विकास कर नये उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

14. औरेंज केटगरी की टैक्सटाइल इकाइयों का स्थायी पंजीयन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

15. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियों में डिप्लोमाधारी स्टूडेंटों को स्टाईफण्ड देने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के हस्तशिल्प उद्योग (इन्डस्ट्रीयल आफ क्राफ्टर्स) हेतु सहायता एवं अनुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के हस्तकर्घा बुनकरों को प्रशिक्षण, भ्रमण, सम्मेलन में भागीदार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के बेरोजगार एवं बुनकरों को तकनीकी अपग्रेडेशन उद्योग एवं व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, कलस्टर डवलपमेंट डायग्नोस्टिक स्टेडी, ग्रामीण शहरी हाट एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी व चिड़ावा में इण्डस्ट्रीयल फैसीलिटेशन कान्सील की स्थापना कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

20. धौलपुर में सीमेन्ट फैक्टी स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

21. भूमि उपलब्धता की कमी के चलते जोधपुर रीको क्षेत्र के विस्तार में हो रही रूकावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण-ध्वनि, प्रदूषण मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण और ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. जोधपुर रीको क्षेत्र में उद्योगों हेतु आबंटित भूमि पर अवैध रूप से संचालित गोदामों का नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन कर करोड़ों का राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. सूरसागर के विश्व प्रसिद्व जोधपुरी पत्थर खनन कटिंग उद्योग के सघन क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देकर चौपड़, सूरसागर में स्टोन पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के वृहत एवं लघु उद्योग में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

27. मेहन्दी उद्योग को उच्च स्तरीय रियायत दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

28. विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ एवं भीम पंचायत समितियों में रीको ऐरिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

29. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में व्यापक स्तर पर कुटीर उद्योग स्थापित करने एवं पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर मुख्यालय पर उद्योग शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

30. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये ज्यादा सब्सिडी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

32. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम सरगोठ (एन.एच.11) में स्थापित जो औद्योगिक इकाई प्रदूषण फैलाती है उनसे प्रदूषण के मापदण्डों की पालना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

33. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कृषि उपज संबंधी उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

34. जैसलमेर में निकलने वाले विश्व प्रसिद्ध पीले पत्थर के विकास हेतु जैसलमेर में स्टोन मार्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जैसलमेर जिले में निकलने वाले पीले पत्थर को निर्यात करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. नई औद्योगिक नीति के तहत जिला जैसलमेर को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

37. भरतपुर में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुन: चालू करवाने एवं नये उद्योग धन्धे स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

38. कुम्हेर (भरतपुर) स्थित कैटल ग्रीडिंग फार्म की करीब तीन हजार बीघा अनुपयोगी जमीन को रीको में अधिग्रहण कर नये उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. भरतपुर जिले में नये उद्योग धंधे स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. भरतपुर जिले में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां यथा-जी.ई.डब्ल्यू.,

(डा. दिगम्बर सिंह)

डालमिया डेयरी, चिनार सिगरेट फैक्ट्री को अविलम्ब पुन: चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

41. रीको से सीतापुरा आई.ओ.सी. अग्निकांड पीड़ितों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सिंगल विंडो योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के बाहर अधिकारियों को भिजवाकर राज्य की योजनाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. जयपुर के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

46. जयपुर स्थित बाईस गोदाम एवं सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र जो सघन आबादी क्षेत्र में आ गये हैं, को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में सड़क सुधार एवं अन्य सुविधाएं रीको द्वारा विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. गिर्वा जिला उदयपुर में रीको द्वारा की गई भूमि अवाप्ति में हुई अनियमितताओं की जांच पूर्ण होने के बावजूद भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. आई.ओ.सी. अग्निकांड से प्रभावित उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलवाकर बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर के आस-पास बने औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सिंगल विंडो योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

51. रूपनगढ़ मे रीको द्वारा डलवपमेंट करने एवं नरवर में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

52. तारानगर में रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

53. रीको औद्योगिक क्षेत्र फलौदी में बिजली आपूर्ति हेतु अलग फीडर स्थापित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के मलार, बाप, बीठड़ी में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने एवं बाप क्षेत्र में सौर ऊर्जा का भण्डार होने से पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

55. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में संचालित ईंट भट्टों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

56. सीकर जिले के लोसल कस्बे में औद्योगिक विकास के प्रयास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

57. जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र में एलिट्रोपोलिट हवाई अड्डा (निजी क्षेत्र) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राज्य में उद्योग लगाने हेतु राजस्थानी प्रवासियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. राज्य में निवेश बढ़ाने के लिये एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी करने लालफीताशाही कम करने व स्पष्ट उद्योग नीति बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

2. श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

60. मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

61. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उद्योग व सहकारिता के संयुक्त तत्वाधान में बड़े उद्योग (सुगर मिल, काटन जिनिंग, आयल मिल, ग्वार गम मिल) की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

63. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में फूड प्रोसेसिंग जोन पार्क स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

64. बहरोड़ में उद्योग के लिये जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों को उद्योग लगाने के लिये विशेष राहत एवं सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. बहरोड़ में उपजाऊ भूमि को उद्योगों से बचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. बहरोड़ तहसील के उद्योगों में अलवर के स्थानीय नौजवानों को नौकरी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. बहरोड़ व नीमराना में बीयर एवं शराब की फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाने से महामारी एवं जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) :

68. औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन नियम 1959 में सरलीकरण व खातेदारों की सरेंडर भूमि को आवेदन करने वालों को तुरन्त खातेदारी बहाल व तहसील स्तर पर ही अधिकृत करने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

69. टोंक जिले के हथकरघा एवं घरेलू उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता एवं अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

70. टोंक एवं बून्दी जिले में खादी वस्त्रों के प्रचार-प्रसार करने एवं खादी वस्त्रों पर रिबेट उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

71. टोंक जिले में वृहद उद्योग इकाई की सम्भावना तलाशने एवं आवश्यक प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही किये जाने में सरकारी उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

72. देवली शहर (टोंक) की महत्वपूर्ण अवस्थिति तथा क्षेत्र में विशिष्ट कच्चे माल की बाहुल्यता होने पर भी इसको औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने में विभागीय अक्षमता पर चर्चा के लिये।

73. कृषि प्रधान बून्दी जिले के कृषि आधारित उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन, तकनीकी एवं वाणिज्यिक सहायता उपलब्ध कराने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

74. बीकानेर में ऊन उद्योग को उबारने एवं अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

75. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर शहर में स्थित जे.सी.टी. मिल को पुन: प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

76. बीकानेर में ऊन उद्योग को राहत पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

77. कोटा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये विशेष पैकेज तथा नये उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु विशेष घोषणा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. कोटा रीको औद्योगिक क्षेत्र में गैर औद्योगिक कार्यों (कोचिंग/हास्टल/मल्टीस्टोरी भवनों के निर्माण) में हो रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

79. कोटा स्टोन व सेण्ड स्टोन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा में स्टोन मार्ट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) :

80. अजमेर के पर्वतपुरा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

81. अजमेर में चप्पल, जूते निर्माण में लगे उद्यमियों को विशेष रियायतें प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. अजमेर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. अजमेर की श्रीनगर पंचायत समिति के पालरा गांव में उपलब्ध भूमि को स्पेशल इकोनोमिकल जोन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. अजमेर जिले में संचालित नव जीवन योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं एवं युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कम ब्याज पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

85. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कस्बा सावर में रीको इण्डस्ट्रीज एरिया हेतु आरक्षित भूमि पर रीको क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

86. राणी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के बीच की सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में लाइट, सड़क एवं उद्यानों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

88. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खनिज आधारित उद्योग की सम्भावनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विराटनगर क्षेत्र के छितोली स्थान पर हस्तशिल्प, मूर्तिकला लघु उद्योग को विकसित करने बाबत विशेष रियायत देने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एक भी औद्योगिक क्षेत्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पर्याप्त सरकारी भूमि की उपलब्धता

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग होने के बावजूद भी बिलवाड़ी, जाजकला, आमलोदा, बाड़ीजोड़ी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

92. भिवाड़ी, खुसकड़ा, चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवकों को रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. तिजारा कोटकासिम तहसील में भूमि अधिग्रहित करने पर किसानों को मुआवजे की राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. खैरथल औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा एवं अलवर जिले के भिवाड़ी, खुसकड़, चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की छटनी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

95. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के बसेड़ी कस्बे में लघु उद्योग इकाई स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. बसेड़ी में सीमेंट कारखाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

98. विधान सभा क्षेत्र नगर में रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

99. खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. रुग्ण इकाइयों के पुन: संचालन हेतु विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में विशेष छूट देकर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूड़ा) के कारण विकास में मिली सफलता पर चर्चा के लिये।

103. उदयपुर शहर के आस-पास नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सुखेर-अम्बेरी में लम्बित भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

104. मकराना मार्बल उद्योग (मंडी) को मुख्य मेगा हाईवे से जोड़कर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

105. रीको औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा (भिवाड़ी) में आबंटित भूखण्ड सं. जी.टी. 276 का कब्जा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. रीको व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में लगने वाले उद्योगों की कुल भूमि में विकसित होने वाले ग्रीन बेल्ट व अन्य सुविधाओं के विरोध भाषी नियम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल-लाइन्स) :

107. विशेष आर्थिक जोन (सेज) के त्वरित विकास तथा तीव्र औद्योगिक विकास के लिये नई औद्योगिक एवं निवेश नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

108. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में उद्योगों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

109. नावां नमक उद्योग में मजदूरों को विशेष सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. नावां, नागौर में नमक उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. नावां नमक उद्योग में व्यवसायों को विशेष सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

113. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के पोकरण नमक उद्योग को पुन: सुचारु रूप से चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

114. भीलवाड़ा में उद्योग के लिये रीको द्वारा बेचे गये भूखण्डों में घोटाले की शिकायतों की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

115. भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना तत्काल प्रभाव से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. भीलवाड़ा के उद्योगों के लिये पानी की स्थायी व्यवस्था के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग के लिये अत्यावश्यक टैक्सचराइज यार्न के उत्पादन की महती आवश्यकता को पूरा करने एवं उत्पादन शुरू करने के लिये प्रोत्साहन योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

118. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में गत 5 वर्षों से अब तक लघु उद्योग एवं शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृति उपरान्त बैंकों द्वारा समय पर ऋण व राशि का भुगतान आवेदक को नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

119. जहाजपुर क्षेत्र के रोपो एवं पारोली में रीको एरिया स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

120 जहाजपुर क्षेत्र में मिनी ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर क्षेत्र की कोटड़ी मुख्यालय पर रीको एरिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. जहाजपुर में रीको एरिया के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

123. धौलपुर जिले में लघु उद्योगों को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. धौलपुर जिले के लिये विशेष उद्योग योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (आसींद) :

125. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के उद्योगों में व्याप्त अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभाग द्वारा खनिज क्षेत्र में सड़कें, स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता (A.M.E.) बालेसर के अधीन क्वारी लाइसेंस का किराया कम करने व किराया नीति बनाने हेतु चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यालय सहायक खनिज अभियंता (A.M.E.) बालेसर के अधीन क्षेत्र में क्वारी लाइसेंस के जमा आवेदकों की लाटरी खोलने व भविष्य में क्वारी लाइसेंस खनिज में सर्वे कर स्थान चयनित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर में खनिज अभियंता (M.E.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

5. सीकर में खान पट्टेधारियों में विभाग के बकाया करोड़ों रुपयों की वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
6. राज्य में अवैध खनन से हो रही हानि की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

7. खाटू (जिला नागौर) में अवैध रूप से जारी खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस निरस्त करवाने तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रचुर लाइम स्टोन पैदा करने वाला क्षेत्र गोटन, बोरूंदा, रणसीगांव, झांक, बरना, अटवडा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं माइनिंग सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) :

9. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में चुनाई पत्थर की खान आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

10. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गैर कानूनी रूप से लगी जिप्सम भट्टियों को बंद करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के जिप्सम क्षेत्र को सीमांकित करने व इसके विकास हेतु आवश्यक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जिप्सम खनन में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

13. राजस्थान में खनिज की गिरती दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

14. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के खनिज क्षेत्र में दी गई लीज के अलावा हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

15. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में खनन रायल्टी का एक प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को नियमों के अन्तर्गत देकर निवास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में जोधपुरी पत्थर के खान क्षेत्र के विकास के लिए एप्रोच रोड पर स्थित खानों के लिए पुराने 25-25 फीट के नियम को पुन: लागू करने एवं केचमेंट एरिया नियम की विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर के खनन कटिंग कार्यों को उद्योग का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पत्थर श्रमिकों के लिए पत्थर श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

19. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में संचालित खानों में स्थानीय निवासियों को ही रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत)

20. विधान सभा क्षेत्र सोजत में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

21. विधान सभा क्षेत्र भीम में फेल्सफट व अन्य खनिजों के हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

22. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

23. सीकर जिले में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

24. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के मारवाड़ बालिया नमक एवं सोडियम सल्फेट के नाम से एरिया प्रसिद्ध फैक्ट्री की मौजूदा हालात, सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों, भूमि भवन व अन्य मशीनरी आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

25. डीडवाना मुख्यालय पर साल्ट बंगले पर खनिज विभाग द्वारा कार्यालय बन्द कर दिये जाने के उपरान्त भी खाली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों सहित अन्य सभी जिप्सम खदानों से आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा गत 5 वर्षों से अब तक दिये गये रेजिंग कान्टेक्ट धारियों द्वारा किये गये सम्पूर्ण खनन उत्खनन बेचान व सरकार को जमा कराई गई राजस्व के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना मारवाड, बालिया नमक उत्पादकों को दयनीय स्थिति से उबारने एवं रेवार्ड के ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित दर के कारण सरकार एवं उत्पादकों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

28. भरतपुर जिले में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

29. अजमेर शहर के पेराफेरी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु पुख्ता उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

30. जयपुर जिले की आंधी गांव एवं आसपास के गांवों में बंद पड़ी खानों को चालू कराये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. राज्य में खनिज नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

32. राज्य में खनन नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. ग्राम टेसकी तहसील नगर जिला भरतपुर में नवीन खनन क्षेत्र पर आने-जाने के लिए सुगम रास्ता बनाने एवं तहसील नगर जिला भरतपुर में हो रहे अवैध खनन से विभाग को हो रही राजस्व हानि पर चर्चा के लिए।

34. अलवर में पदस्थापित सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाने एवं अलवर जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. टोंक एवं सवाईमाधोपुर जिले में हो रही बजरी की अवैध निकासी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

36. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा पुष्कर के ग्राम कायद में अवाप्त जमीन का मुआवजा राशि बढ़ाने एवं उन्हें नौकरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

2. श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

37. खनिज को उत्पादन की श्रेणी में लेने, खनिज की मशीनों पर लग रहे वैट को हटाने एवं माइनिंग सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

38. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु कठोर कदम एवं प्रभावी नियम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री दौलतराज समेजा)

39. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अवैध खनन को रोकने हेतु स्थानीय लोगों को खनन पट्टे स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

40. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में होने वाले खनिजों के खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

41. अलवर जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों एवं जिलाधीश द्वारा जानबूझकर खानों का आबंटन रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. अलवर में किसान को विशेष अनुदान एवं परमिट देकर अपने खेत से खनिज निकालने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

43. खनिज विभाग एवं अधीनस्थ निगमों में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग को भरने में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिए।

44. बून्दी एवं टौंक जिले के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाने में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए।

45. विगत पांच वर्षों में रायल्टी वसूली ठेकों में सरकार को हो रहे नुकसान को कम करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

46. कोटा सम्भाग में संभाव्य पेट्रोलियम सामग्री के अनुसंधान, मूल्यांकन, सर्वेक्षण एवं उत्पादन कार्य में बरती जा रही विभागीय उदासीनता एवं देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. पेट्रोलियम निदेशालय में बढ़ते कार्य के अनुपात में पद सृजित करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

48. पाली जिले में रेती रायल्टी के ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टर रेती पर 5 टन की रायल्टी के स्थान पर 6 टन करने से ठेकेदार द्वारा ज्यादा वसूल की गई राशि वापिस दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. खनिज विभाग द्वारा रायल्टी ठेकेदारों से सांठगांठ कर अधिक रायल्टी वसूलने पर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

50. तिजारा, किशनगढ़बास, कोटकासिम तहसीलों में होने वाले अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51. तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़बास तहसीलों में बाहरी लोगों को आबंटित खनिज पट्टों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

52. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के रमदा में हो रहे अवैध खनन कार्य को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में हो रहे अवैध खनन कार्य को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खनिज लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे खनन पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद) :

55. सीकर में खोरी डूंगर से हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

56. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

57. राज्य में हो रहे अवैध खनन के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. वेदान्ता ग्रुप द्वारा दरीबा क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन से स्थानीय लोगों की खेती पूर्णत: बर्बाद होने से प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. उदयपुर सम्भाग के खनिज क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं यातायात सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. अरावली क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण स्थानीय लोगों को ऋण नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61. मेवाड़ में खनिज उत्पादन एवं रायल्टी से प्राप्त होने वाली राशि से मेवाड़ का विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

62. उप योजना क्षेत्र में खनन पट्टों व नवीनीकरण पर लगी रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

63. नौसर भाखरी में मैसेनरी स्टोन का पट्टा स्थानीय लोगों को आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

64. मकराना, परबतसर में रेलवे लाइन डाइर्वजन से प्रभावित खानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

65. मकराना में 766 खानों के प्राप्त किराये को रायल्टी में समायोजित करने एवं नये क्षेत्रों में आरक्षण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. मकराना मार्बल के तैयार उत्पादन पर रायल्टी 30 प्रतिशत, वेस्टेज रायल्टी 22/- रुपये प्रति टन व 2 फीट से छोटे साइज के तैयार मार्बल पर 130 रुपये प्रति टन रायल्टी वसूले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. मकराना मार्बल्स की आधुनिक तकनीक से की जा रही माइनिंग में निकले ब्लाक्स को व इन ब्लाक्स के छोटे टुकडे बनाये जाने के उपरान्त इसे तैयार माल समझकर वसूली जा रही रायल्टी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. मकराना में आजादी से पहले पूर्व राज दरबार द्वारा दी गई बापी खानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

69. अलवर जिले की खनिज नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

70. अरावली पर्वत श्रृंखला में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

71. मोहनगढ़ एवं नाचना में जिप्सम की खानों से प्राप्त रायल्टी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के विकास में खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

72. भीलवाड़ा जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

73. जहाजपुर क्षेत्र में खनिज रायल्टी राशि से आमल्दा से चैनपुरा सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. जहाजपुर क्षेत्र में खनिज रायल्टी से चैनपुरा से बागूदार तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

75. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनन क्षेत्र में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

76. धौलपुर के लिए विशेष खनिज नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

77. राज्य में बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार के अवसर उपल्ब्ध कराने हेतु नये क्षेत्रों का चिन्हींकरण करके उन्हें खनन हेतु खान आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. कोटा व बूंदी जिले में चल रहे क्रेशर्स पर अवैध रूप से खनन किया पत्थर सप्लाई नहीं करने एवं नये खनन क्षेत्रों का चिन्हींकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. राज्य में खातेदारी की जमीन सरेंडर के पश्चात् प्राप्त माइनिंग लीज पर देने के लिए वन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. में समय सीमा का निर्धारण कराने के लिए विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80. बून्दी जिले के डाबी खनन क्षेत्र में नई लीज डीड देने के बाद विभाग द्वारा राजस्व विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने के लिए पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. कोटा, बूंदी, बारां, सालावाड़ में ठेकेदारों द्वारा रायल्टी की अवैध वसूली को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू)

82. लीलाला (छीतर का पार) बायतू में तेल शोधक संयंत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

1. वन विभाग द्वारा करवाये वाटर शेड कार्यक्रम पर रोक लगाकर उक्त कार्य ग्राम पंचायत से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. सीकर जिले में वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. राज्य में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बसे लोगों के डाइवर्सन के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

4. सीकर जिले में पांच वर्षों में लगाये गये पौधों में से आधे से अधिक पौधे मर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

5. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के वन क्षेत्र में चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. हरित राजस्थान योजना अन्तर्गत 2009 में वृक्षारोपण में सरवाइव करने वाले पौधों, पेड़ों की सुरक्षा एवं पानी पिलाई की सुविधा हेतु कार्मिकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

7. अनूपगढ़ शाखा (नहर) के किनारों व इसकी वितरिकाओं के किनारों पर पूर्व में लगे पेड़ों की कटाई में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के शुष्क क्षेत्र में नर्सरियां बनाने व बन्द पड़ी नर्सरियों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. अनूपगढ़ शाखा व इसकी वितरिकाओं के किनारों पर काटे गए वृक्षों की जगह नए वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में चक 3 एस.डी.आर. की 50 बीघा भूमि में स्थित नर्सरी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

11. तहसील डूंगरगढ़ में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण एवं पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

12. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सघन वन सीमा निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में वृक्षारोपण, पौधशालाएं स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

14. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, नया परिसर पाली रोड जोधपुर की मुख्य दीवार के सहारे आफरी, जोधपुर द्वारा विकसित नगरीय वनीकरण माडल को पूरे राज्य में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की वन भूमि की सुरक्षा और उपयोग हेतु हर्बल पार्क एवं फूलों की घाटी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये कठोर उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

17. विधान सभा क्षेत्र सोजत में चलाये जा रहे हरित राजस्थान योजना के तहत किये गये वृक्षारोपण पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

18. विधान सभा क्षेत्र भीम में वन क्षेत्र हरित रखने हेतु नरेगा कार्यों के माध्यम से वन क्षेत्र में लघु एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

19. प्रदेश में मरू प्रसार रोक योजना जो कि वर्ष 2010 में बन्द हो रही है उसे निरन्तर रखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में निजी काश्तकारों के चलायमान रेतीले टीबों पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सेखाला नर्सरी को गोचर भूमि से मुक्त

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कर वन विभाग के नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. प्रदेश में वृक्षारोपण में पौधों को पानी पिलाने की उचित व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीलें टीबो पर वर्षों पुराने वृक्षारोपित मृत पौधे के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधे रोपित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

24. पानी की कमी से विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार, भरतपुर के अस्तित्व पर आये संकट के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

25. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर स्थित माढैरा रूंध की चारदीवारी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, भरतपुर को नियमित रूप से शीघ्र पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

27. वन क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिये वन चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. अजमेर शहर में वन भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों के लोगों को अन्यत्र बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. अजमेर शहर में स्थित कल्याणीपुरा एवं धोलाभाटा की वन भूमि को भू-माफिया से बचाने के लिये उस पर चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

30. जयपुर शहर में वन विभाग की भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों को वन विभाग से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राज्य में वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् पेड़ों की

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

समय पर सार संभाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. अमानीशाह नाले के उदगम स्थान एवं बहाव क्षेत्र के वन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश के वनों में हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

34. जयपुर के पास जामडोली एवं अन्य स्थानों पर वन भूमि से पेड़ों की कटाई की जानकारी विभाग को प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

35. हरित राजस्थान कार्यक्रम के नाम पर लगाये गये वृक्षों में से अधिकतर वृक्ष सूख जाने से कार्यक्रम के औचित्य पर लगे प्रश्न चिन्ह पर चर्चा के लिये।

36. जयपुर के जमवारामगढ़ रोड, बाइपास पर पहाड़ों को काट-काट कर किये जा रहे अवैध कब्जों को रोक पाने में विभाग की विफलता एवं विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से इस इलाके में वन भूमि पर हो रहे कब्जों को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. रणथम्भौर बाघ अभयारणय के कोर एरिया को बढ़ाने, वन भूमि पर हुये कब्जों को हटाने एवं बाघ परियोजना में वर्षों से लगे कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राज्य में घटते वन क्षेत्र पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

39. राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम वन क्षेत्र होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

40. सीकर जिले में वन विभाग की देवगढ़ पहाड़ी पर अवैध रूप से चल रही क्रेशर मशीन को बंद करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

41. राज्य के जन्तुआलयों में वन्य जीवों की असामयिक मौत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
42. राज्य में कार्यरत प्रदूषण मापक लेबोरेट्रीज केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से संचालित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
43. संजय स्मृति वन शाहपुरा (जयपुर) की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
44. राज्य में बाघों के संरक्षण के कारगर उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

45. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में हरित क्रांति के अन्तर्गत अब तक लगाए वृक्षों की संख्यां व नष्ट हुये वृक्षों के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

46. अलवर जिले में वनों को बचाने के लिये अवैध खनन को बन्द कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
47. नीमराना फोर्ट के मालिकों द्वारा वन भूमि में रोपवे लगाने व वन भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

48. वन कर्मियों की कमी के चलते वन सम्पदा को हो रहे नुकसान को रोकने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।
49. टोंक जिले सहित समूचे प्रदेश में हरित राजस्थान अभियान के तहत किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षार्थ समुचित उपाय किये जाने में बरती गई विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।
50. टोंक एवं बून्दी जिलों में वन सम्पदा एवं वन्य जीवों के संरक्षणार्थ वन क्षेत्रों में नवीन एनीकट निर्माण एवं पुराने एनीकटों/तालाबों की आवश्यक मरम्मत/सुधार हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने में विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।
51. पर्यावरणीय जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु सुस्पष्ट विभागीय कार्य योजना एवं प्रोत्साहक गतिविधियां संचालन में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

52. रानीपुरा (उनियारा) टोंक क्षेत्र के हरिणों हेतु पेयजल की स्थाई व्यवस्था करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) :

53. जिला उदयपुर में वन विभाग में रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. राज्य में वनों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. राज्य में अवैध रूप से वनों की हो रही कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. राज्य में वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

57. रणथम्भौर बाघ अभयारण्य से बाघों के लापता होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

58. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने हेतु कठोर नियम व दण्ड प्रक्रिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वन विभाग की भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन करने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रोजड़ों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं व फसल बर्बादी को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

61. विगरला ग्राम में बन्दरों द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचा रहे बन्दरों को पकड़ कर अरावली में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. पाली जिले में विचरण करने वाले जंगली सूअरों एवं नील गायों को पकड़कर किसी अभयारण्य में छोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

63. अलवर जिले के वन क्षेत्र में अवैध खनन से हो रहे प्रदूषण एवं हरे पेड़ों की कटाई को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

64. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के आंगई बांध पर वन सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पेड़ों की अवैध रूप से हो रही कटाई को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

66. सरिस्का अभयारण्य में बसे गांवों को विस्थापित करने के साथ ही वाणिज्य गतिविधियों को भी स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

67. सीकर जिले में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

68. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नर्सरियां विकसित कर पर्याप्त वृक्षारोपण कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किये गये वृक्षारोपण के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम पंचायत नीमला में डकोता तक वन विभाग की भूमि पर सड़क नहीं बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

71. बागदड़ा (उदयपुर) में स्थित झील को मगरमच्छ सेन्चुरी का रूप दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. हरित राजस्थान वर्ष 2009-10 में लगाये गये करोड़ों पेड़ों में से अधिकांश पेड़ों के जीवित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. उदयपुर में सज्जनगढ़ पर बन रहे बायलोजीकल पार्क की गति धीमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. जयसमन्द सेन्चुरी की बिगड़ती हालात के संबंध में चर्चा के लिये।

75. बागदड़ा उदयपुर के चारों तरफ निर्माणाधीन दीवार को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

76. प्रतापगढ़ जिले में जून, 2007 में प्राप्त आवेदनों पर अब तक पट्टे देने की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. प्रतापगढ़ जिले की तहसील अरनोद में गौतमेश्वर मंदिर के विकास हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्यों पर वन विभाग द्वारा लगाई रोक के संबंध में चर्चा के लिये।

78. प्रतापगढ़ जिले में वन भूमि पर बसे गांवों के संबंध में चर्चा के लिये।

79. सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य में लिये गये नीतिगत निर्णय से टाईगर प्रोजेक्ट शिफ्ट करने और अभयारण्य में सदियों से निवास कर रहे लोगों को बेदखल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

80. सरकारी वन भूमि में लगे वृक्षों की कटाई की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

81. मरू प्रसार योजना के तहत मजदूरों के बकाया भुगतान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

82. वन विभाग में वनरक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं वनों की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ स्टाफ को साधन एवं संचार सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. सुलतानपुर, सीसवाली, इटावा खातौली के क्षेत्रों में घूम रही रणथम्भौर पार्क की बाघिन टी-37 को पकड़कर यथा स्थान पहुंचाने, बाघिन से ग्रामीणों व पशुओं की सुरक्षा के उपाय करने तथा इस माह में रणथम्भौर बाघ परियोजनाओं में शावकों के शिकार एवं वन्यजीवों के अवैध शिकार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. वन विभाग की भूमि पर गैर वानिकी उपयोग के लिये लम्बित सरकारी योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. राजस्थान के चिड़ियाघरों में वन्यजीवों के खाद्यान्न हेतु पर्याप्त राशि आबंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

86. मकराना मार्बल खानें जिनकी साइज छोटी होने के उपरान्त भी 6000

(डा. जाकिर हुसैन गैसावत)

रुपये प्रति वर्ष प्रति खान वसूले जा रहे पर्यावरण शुल्क से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

87. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन भूमि के चारों तरफ चारदीवारी (फैसींग) एवं वन भूमि पर चकडेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

88. राजस्थान में वन संरक्षण हेतु किये जा रहे उपायों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

89. वन विभाग की भूमि का सीमांकन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. हरित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

91. इंदिरा गांधी नहर के नहरी क्षेत्र के माईनरों, सब माईनरों एवं खालों के किनारे वृक्षारोपण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

92. भीलवाड़ा जिले में हरित राजस्थान के तहत लगाये गये पौधों का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर भी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

93. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य एवं वन क्षेत्र में तालाब, बांध, एनीकट काजवे कम एनीकट निर्माण नदी से लिफ्ट निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम बिल्लीखेड़ा, गढवेला, तलाब, रेठा, ग्राम पंचायत सरीपीपली, आडावेला, ग्राम पंचायत जोलर, नकोर, चिकलाड आदि में पीढ़ी दर पीढ़ी वन भूमि पर कृषि काश्त करते आ रहे किसानों को वन अधिकार के तहत प्रस्तुत दावों का निस्तारण नहीं किये जाने व वन विभाग द्वारा पिलर निर्माण करा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

95. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सीतामाता अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित करवाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

96. हरित राजस्थान के तहत किये गये वृक्षारोपण को जीवित रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

97. प्रदूषण नियंत्रण के तहत बंद मशीनों को जीरो प्रदूषण होने के बावजूद शुरू नहीं कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

98. वनों की अवैध कटाई के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

श्री रामलाल जाट (राज्य मंत्री खनिज) द्वारा अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज व 9-वन पर विचार के समय सदन पटल पर रखा गया अपना वक्तव्य

खनिज विभाग

खनिज विभाग की वर्ष 2010-11 की बजट अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिये सभी माननीय विधायकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विभाग के संबंध में आप द्वारा जो रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा हमारा यह प्रयास रहेगा कि सुझावों पर समीक्षा कर सकारात्मक रूख अपनाया जाये।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में खनिज सम्पदा का विशेष योगदान रहता है। कोई भी उद्योग खनिज के बिना नहीं चल सकता है। प्रात: उठने से रात को सोने तक की अवधि में विभिन्न उत्पादों का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों में उपयोग करता है। राज्य में 79 खनिज उपलब्ध हैं जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन व्यावसायिक रूप से हो रहा है। जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जैस्पर तथा गारनेट में देश का लगभग सारा उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। इसके अतिरिक्त कैल्साइट, राक फास्फेट, जिप्सम, आकर एवं वालक्ले खनिजों के उत्पादन में राज्य का देश में अग्रणी स्थान है। इमारती पत्थरों में विभिन्न तरह के ग्रेनाइट, मार्बल व सैण्डस्टोन उपलब्ध हैं। अब हमारा यह प्रयास होगा कि बहुमूल्य धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा व मैग्नीज की खोज व खनन को भी गति प्रदान करें।

राजस्व

खनिजों के प्रबन्धन एवं खोज के लिये राज्य में खान एवं भू-विज्ञान विभाग वर्ष 1949 से उदयपुर में कार्यरत है। विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2008-2009 में राजस्व लक्ष्य रु. 1265 करोड़ के विरुद्ध रु. 1275 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में 17 मार्च, 2010 तक 1438 करोड़ (1398 करोड़ रायल्टी एवं 40 करोड़ आर.एस.एम.एम.एल. से सेस) रुपये की। राजस्व प्राप्ति हुई है जो कि गत वर्ष की इस समय प्राप्त राजस्व से 382 करोड़ रुपये (37.5 प्रतिशत) अधिक है। इसके अतिरिकत, पेट्रोलियम से इस वर्ष फरवरी तक 84.75 करोड़ रुपये की रायल्टी से आय प्राप्त हुई है।

<u>खनन पट्टों का अनुदान</u>

जहां राज्य में 1 अप्रैल, 2009 को कुल 28,557 खनन पट्टे/क्वारी लाइसेन्स प्रभाव में थे, वहीं 01 जनवरी, 2010 को 29,023 खनन पट्टे/क्वारी लाइसेन्स प्रभाव में आ गये जिससे न केवल राजस्व आय में वृद्धि हुई बल्कि नये रोजगार के अवसर भी सृजित हुये एवं देश में चल रही आर्थिक मन्दी के दौर में भी मात्र पिछले नौ माह में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में 10,000 व्यक्तियों को नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

<u>कम्प्यूटरीकरण</u>

विभाग के कार्य में पारदर्शिता एवं त्वरितता लाने के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार डी.एम.जी. आनलाइन मैनेजमेन्ट सिस्टम (DMGONLINE MANAGEMENT SYSTEM) को दिनांक 18.12.2009 को लागू कर दिया गया है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने खनन पट्टे एवं आवेदन पत्र के संबंध में घर बैठकर सारी जानकारी इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अभी इस समय राज्य में खनिज विभाग की रेवेन्यू कितनी हुई है, इसकी जानकारी नेट के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। हमारा यह प्रयास होगा कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते ही आवेदक को यह बता दिया जाये कि उसका आवेदित क्षेत्र रिक्त है अथवा नहीं तथा आवेदक को क्या-क्या पूर्ति करना शेष है। आगे आने वाले समय में कोई भी आवेदक पूरे राज्य में कहीं से भी किसी भी कार्यालय के क्षेत्राधिकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

<u>अवैध खनन की रोकथाम</u>

अवैध खनन राज्य सरकार की ही नहीं अपुति पूरे भारतवर्ष की बहुत बड़ी समस्या है। अवैध खनन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर निर्णय प्रदान किए हैं। राज्य सरकार भी अवैध खनन को रोकने के लिए कृत संकल्प है एवं पिछले एक वर्ष में कई कड़े कदम उठाये गये हैं। राज्य में मुख्यतया मेसेनरी स्टोन, जिप्सम, क्वार्टज व फैल्सपार आदि कम मूल्यों के खनिजों का अवैध खनन होता है। इसकी रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निम्न उपाय किए गये हैं:-

(i) दिनांक 1 अगस्त, 2009 से 15 सितम्बर, 2009 तक प्रत्येक जिले में कलक्टर के निर्देशन में खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त दल गठित कर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अवैध खनन एवं निर्गमन के 2,984 प्रकरण बनाये

गये, 64 प्रकरणों में पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, 21 गिरफ्तारियां की गईं, 3 प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासे दायर कराये गये तथा 2 करोड़ 18 लाख रुपये खनिज की कीमत शास्ती के रूप में वसूल की गई। विभाग के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अभियान राज्य स्तर पर चलाया गया।

इसके अलावा समय-समय पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रयास किये गये हैं जिसके तहत राज्य में दिनांक 01.04.2009 से अब तक अवैध खनन की रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों के दौरान अवैध खनन/अवैध निर्गमन के 4,556 प्रकरण बनाये गये। इनमें से 226 प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई व 9 प्रकरणों में इस्तगासे दायर किये गये एवं अवैध खनिज की कीमत 386 लाख रुपये वसूल किए गये।

(ii) राज्य में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें गृह विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा महानिदेशक, पुलिस विभाग; प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग; अध्यक्ष, फैडरेशन आफ माइनिंग एसोसियेशन; सचिव, फैडरेशन आफ माइनिंग एसोसियेशन; एवं प्रमुख पर्यावरणविद् सदस्य हैं तथा इस कमेटी द्वारा अवैध खनन को रोकने से संबंधित प्रभावी दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं।

(iii) उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में खान विभाग द्वारा होम गार्ड की दो कम्पनियां (200 सदस्य) अवैध खनन कार्य रोकने हेतु नियुक्त की गई हैं। वर्तमान में होम गार्ड की कम्पनियां भरतपुर, अलवर एवं बीकानेर जिलों में अवैध खनन कार्य रुकवाने हेतु नियुक्त कर दी गई हैं।

(iv) राज्य में खनिजों का अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिये महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक सर्वेलेन्स उपकरण लगाने की बजट घोषणा की गई है। इस प्रकार अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण लगाकर अवैध खनन एवं निर्गमन पर अंकुश लगाया जावेगा।

<u>लिग्नाइट खनन एवं ताप बिजलीघर</u>

राज्य में खनिज लिग्नाइट के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं एवं लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इससे आने वाले समय में राज्य को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।

हाल ही में जिला बाड़मेर में कपूरडी तथा जालिपा क्षेत्रों में लिग्नाइट आधारित 8x135 मेगावाट क्षमता के तापघर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसकी एक इकाई में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त, बीकानेर जिले के बरसिंगसर क्षेत्र में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा 125 मेगावाट के दो बिजली संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें से एक में उत्पादन अतिशीघ्र प्रारम्भ होने वाला है।

सीमेंट प्लान्ट्स- राज्य में लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके दोहन से नये सीमेन्ट प्लान्ट्स की स्थापना हेतु हम प्रयासरत हैं।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स राज्य का प्रमुख उपक्रम है जो कि राज्य के औद्योगिक तथा उर्वरक खनिजों-राक फास्फेट, जिप्सम, लाइम स्टोन, लिग्नाइट, आदि खनिज सम्पदा का दोहन एवं विपणन करने वाला देश का एक अग्रणी राजकीय प्रतिष्ठान है। इसके साथ ही कम्पनी लिग्नाईट आधारित बिजली पैदा करने के लिये निरन्तर अग्रसर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस उपक्रम द्वारा टी.एस.पी. क्षेत्रों में भी बहुमूल्य खनिजों की खोज तथा दोहन का कार्य हाथ में लिये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है।

मातासुख डी-सेलीनेशन प्लांट- कम्पनी द्वारा नागौर में स्थित मातासुख-कसनउ खदान में बड़े पैमाने पर उपलब्ध खारे पानी के भण्डार को उपयोगी बनाने के लिये 20 मिलीयन लीटर प्रतिदिन खारे पानी का उपचार करके 13 मिलियन लीटर पीने योग्य पानी प्रतिदिन उत्पादन करने के लिये योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपचारित पानी आर.एस.एम.एम. द्वारा पी.एच.ई.डी. को उपलब्ध करवाया जायेगा जिसे वह नागौर जिले के गांवों में पानी की कमी के स्थानों पर वितरण की व्यवस्था करेगी।

पवन ऊर्जा संयंत्र- चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में कम्पनी द्वारा 30.00 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। जिसकी अनुमानित लागत 163.92 करोड़ रुपये है।

कार्बन एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट- आर.एस.एम.एम.एल. के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, जैसलमेर को क्लीन डवलपमेन्ट मेकेनिज्म बोर्ड, यू.एन.एफ.सी., जर्मनी द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत आर.एस.एम.एम. लि. को विश्व पर्यावरण में सहायता करने हेतु 57,004 कार्बन एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किये गये। प्राप्त कार्बन एमिशन रिडक्शन प्रमाण-पत्रों की बिक्री से कुल 7.66 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया।

आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा पवन विद्युत फार्मों से लगभग 1,900 लाख यूनिट प्रदूषण मुक्त विद्युत प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाई जायेगी।

वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य- सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा माह फरवरी, 2010 में लगभग 3 करोड़ रुपये राजकीय चिकित्सालयों, जोधपुर के रखरखाव एवं 2 करोड़ रुपये नागौर के लिए नये चिकित्सालय के भवन की आधारभूत संरचना के निर्माण एवं उपकरणों को क्रय करने हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में दिये गये हैं।

राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन

राज्य में 2 वर्ष पूर्व स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, अब इस कारपोरेशन का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इण्डियन स्कूल आफ पेट्रोलियम द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार इसका बिजनस प्लान अनुमोदित कर दिया गया है। इस बिजनेस प्लान में आयल रिफाइनरी, पाइप लाइन ट्रान्सपोर्ट, गैस रिटेलिंग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन तथा आयल फील्ड सपोर्ट सर्विसेस शामिल हैं। आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा पेट्रोलियम कारपोरेशन में 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

पेट्रोलियम विभाग

राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से राज्य में 21 ब्लाक के अन्तर्गत लगभग 60 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तेल, गैस एवं सी.बी.एम. अन्वेषण कार्य जारी है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण हेतु राष्ट्रीय तेल कम्पनियां ओ.एन.जी.सी एवं आयल इंडिया लि. के अतिरिक्त विश्व स्तरीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एवं निजी कंपनियां कार्य कर रही हैं जिनमें केयर्न इंडिया (स्काटलैंड), ई.एन.आई. (इटली), रिलायंस इण्डस्ट्रीज एवं फोकस एनर्जी प्रमुख हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं विकास हेतु कुल 50 कुओं की खुदाई की गई, जिसमें लगभग रुपये 500 करोड़ का निवेश हो चुका है तथा स्थानीय आम जन को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

बाड़मेर-सांचोर बेसिन में खोजे गए 25 तेल एवं गैस क्षेत्रों (फील्ड) में खनिज तेल के लगभग 480 मिलियन टन तथा प्राकृतिक गैस के लगभग 3000-6000 मिलियन घनमीटर इनप्लेस भंडार आंकलित किए गए हैं। मंगला

क्षेत्र की खोज देश की गत दो दशकों की सबसे बड़ी खोज है। यहां से खनिज तेल का उत्पादन 29.08.2009 से आरम्भ हो गया है तथा अब तक कुल उत्पादन लगभग तीन लाख उनत्तर हजार मैट्रिक टन अर्थात 2.6 मिलियन बैरल्स हो चुका है।

बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उच्चतम उत्पादन 1.50-1.75 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है, जो कि देश में किसी एक बेसिन से सर्वाधिक होगा तथा देश के कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत होगा। राज्य को इस वित्तीय वर्ष में अब तक खनिज तेल के उत्पादन से लगभग 84 करोड़ रुपये की रायल्टी प्राप्त हुई है तथा उत्पादन बढ़ने से वर्ष 2010-11 में लगभग 700 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति सम्भावित है।

जैसलमेर बेसिन से वर्ष 1994 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारम्भ होकर वर्तमान में 0.78 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन कर रामगढ़ विद्युत संयंत्र की 110 मेगावाट इकाई को विद्युत उत्पादन हेतु आपूर्ति की जा रही है। हाल ही में फोकस एनर्जी द्वारा शाहगढ़ (जैसलमेर) सब-बेसिन से 0.95 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं गेल (इंडिया) के साथ अनुबंध किया गया है। इसके अन्तर्गत रामगढ़ विद्युत संयंत्र की वर्तमान इकाई को 0.20 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन तथा 160 मेगावाट की नवीन इकाई स्थापित करने हेतु 0.75 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन गैस सप्लाई की जाएगी।

हाल ही में महानिदेशक हाइड्रोकार्बन एवं तेल विकास बोर्ड (OIDB) द्वारा राज्य सरकार को बीकानेर में कोल बेड मिथेन अनुसंधान एवं विकास हेतु रु. 3.72 करोड़ के अनुदान (Grant-in-Aid) का अनुमोदन किया है। बीकानेर क्षेत्र में लगभग 950 मिलियन घनमीटर कोल बेड मिथेन के भण्डार मिलने की संभावना है, जिसके दोहन से बीकानेर में विद्युत संयंत्र या यूरिया प्लांट लगाये जा सकेंगे। साथ ही बीकानेर स्थित सिरेमिक इंडस्ट्री को ईंधन की आपूर्ति में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा गेल इण्डिया के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया, जिसके अन्तर्गत बाड़मेर-सांचोर बेसिन में 200-500 मीटर की गहराई में उपलब्ध लिग्नाइट भण्डारों के भूमिगत गैसीकरण प्रक्रिया से दोहन हेतु स्थल का चयन एवं प्री-फिजिबिलिटी स्टडी एवं पायलट परीक्षण किये जाने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम सेक्टर में कार्यरत कंपनियों को अपने

कार्य क्षेत्र में सामाजिक उत्थान की गतिविधियां संचालित करने हेतु प्रेरित करने पर इन कंपनियों द्वारा उनके क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

राज्य में रिफाइनरी की स्थापना

राज्य में खनिज तेल के 480 मिलियन टन इन-प्लेस घरेलू भण्डार पर आधारित वेल हेड रिफाइनरी स्थापित करने हेतु राज्य सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, श्री मुरली देवड़ा के दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2009 जयपुर एवं बाड़मेर प्रवास के दौरान, पिछडे बाड़मेर क्षेत्र में वेल हैड रिफाइनरी स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया तथा केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव, ओएनजीसी चेयरमैन एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई जिसमें ओएनजीसी चेयरमैन ने प्रकरण में सकारात्मक रूप से पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया।

हमारे अनुरोध पर ओएनजीसी द्वारा रिफाइनरी स्थापित करने हेतु एसबीआई, केप्स के माध्यम से रेपिड स्टेडी (Rapid Study) करवाई गई।

राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम रिसोर्स के मूल्य संवर्धन हेतु श्री एस.सी. त्रिपाठी, रिटायर्ड केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसमें आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल. एवं ई.आई.एल. के पूर्व सी.एम.डी. सदस्य हैं। इस समिति द्वारा अब तक 7 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें केयर्न इंडिया, ओ.एन.जी.सी., ई.आई.एल., महानिदेशालय, हाइड्रोकार्बन, आयल इंडिया लि., आई.ओ.सी. एवं एच.पी.सी.एल. के साथ विचार-विमर्श किया गया।

समिति के चैयरमैन श्री एस.सी. त्रिपाठी एवं अन्य सदस्य जैसे कि श्री एम.एस. रामचन्द्रन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन आयल कारपोरेशन, श्री एम.बी लाल, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; श्री मुकेश रोहतगी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लि. एवं श्री एस.के. हांडा, उपमहाप्रबंधक, इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा दिनांक 04.02.2010 से दिनांक 07.02.2010 के मध्य बाड़मेर जिले में लीलाला ग्राम के पास स्थित रिफाइनरी साईट का अवलोकन किया तथा रिफाइनरी के औचित्य एवं फिजिबिलिटी हेतु हाडड्रोकार्बन की उपलब्धता एवं मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भूमि (लगभग 900 हैक्टेयर), पानी, बिजली, सड़क एवं रेल्वे आदि का निरीक्षण किया।

कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अद्यतन (Updation) हेतु इंजीनियर्स इंडिया लि., केन्द्र सरकार का उपक्रम, को कार्यादेश जारी किया गया है।

हाल ही में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, श्री मुरली देवड़ा एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के दिनांक 13.03.2010 एवं 14.03.2010 को जयपुर एवं लक्ष्मणगढ़ आगमन पर मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु पुन: पुरजोर अनुरोध किया, जिस पर श्री देवड़ा ने त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

त्रिपाठी समिति द्वारा रिफाइनरी बाबत अंतिम रिपोर्ट (Final Report) राज्य सरकार को दिनांक 31 मार्च, 2010 के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार ओएनजीसी के साथ विचार-विमर्श कर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

विभागीय बकाया माफी योजना

विभाग में वर्ष 1950 से अभी तक काफी राशि बकाया चल रही है, जिसकी वसूली हेतु विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2010 से विभागीय बकाया माफी योजना लागू की है। यह योजना वर्ष 31.03.2007 से या इसके पूर्व की 72 करोड़ बकाया पर लागू की गई है। यह योजना अनाधिकृत खनन एवं लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

राज्य में खनिजों का एकाधिकार

राज्य में विभिन्न प्रकार के 79 खनिज उपलब्ध हैं जिनमें से 58 खनिजों का व्यवसायिक उत्पादन हो रहा है। प्रधान खनिजों में जैसे जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जेस्पार, गारनेट (जेम श्रेणी) में राजस्थान का एकाधिकार है। अलौह धातु (सीसा, जस्ता, तांबा), केल्साइट, जिप्सम, सोपस्टोन, राक फास्फेट, मार्बल, सेण्ड स्टोन, इत्यादि में भी राज्य देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

वृक्षारोपण

खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में कुल 3 लाख 34 हजार नये वृक्ष विभिन्न पट्टेधारियों द्वारा लगाये गये। हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न खनन पट्टेधारियों द्वारा 9 लाख 34 हजार पौधे लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या 43,

खनिज की 64 करोड़ 93 लाख 25 हजार रुपये की मांग पारित करने का कष्ट करावें।

वन विभाग

वन विभाग की मांगों पर इस पवित्र सदन में चर्चा के सुअवसर पर मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं।

हमारा प्रदेश प्राकृतिक एवं परिस्थितिकीय विषमताओं से भरा पड़ा है। यहां की शुष्क जलवायु, दो-तिहाई भू-भाग पर विस्तृत मरूस्थल, अल्प वर्षा एवं वर्षा की अनिश्चितता, मौजूदा वन संसाधनों पर अत्यधिक जैविक दबाव आदि ऐसे कारक हैं जिनसे राज्य में वृक्षारोपण एवं लगाये गये वृक्षों को जीवित रख पाना चुनौती भरा कार्य है।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति :-

3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का वन क्षेत्र 32 हजार 710 वर्ग कि.मी. है जो कि कुल भू-भाग का मात्र 9.56 प्रतिशत है। राज्य में वन एवं वृक्षाच्छाति क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 24310 वर्ग कि.मी. है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.11 प्रतिशत है। राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या एवं पशु की वृद्धि के कारण वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि से मानवता के समक्ष गमभीर समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। आज ओजोन परत में छेद होने के कारण अनेक प्रकार के कैन्सर, चर्म रोग जैसी गम्भीर बीमारियां, तथा श्वसन संबंधी बीमारियां दिनोंदिन बढ़ रही हैं। यह सब पर्यावरण के असंतुलन के कारण घटित हो रहा है। पर्यावरण के संतुलन में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वन हमारे जीवन की संस्कृति के आधार है।

इस प्रदेश में पेड़ों को बचाने का एक अनूठा उदाहरण रहा है। यहां पर जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में अमृतादेवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 नर-नारियों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिये अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार पेड़ बचाने के लिये विश्नोई समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि "सिर सांठे रूख रहें तो भी सस्तो जाण"। यह मेरा विश्वास है कि आप सब का सहयोग प्राप्त होगा एवं रचनात्मक मार्गदर्शन से हम राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने में सफल होंगे।

हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति अरण्य प्रधान एवं प्रकृति पूजक रही

है। वृक्षों एवं अन्य जीवों को देवी-देवताओं, राशियों एवं नक्षत्रों के साथ जोड़कर संरक्षण प्रदान किया जाता रहा है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि

अश्वत्यह सर्व वृक्षाणाम्

देवर्षीणाम् च नारद:।

अर्थात सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं।

वृक्षों का महत्व हमारे यहां इतना अधिक बताया गया है कि उनमें देवताओं का निवास होता है। पुराणों में कहा गया है-

मूल ब्रहमा त्वचा विष्णु: शाखारूद्र महेश्वर:।

पत्राणि सर्वदेवानां वृक्ष देव नमोऽस्तुते।

अर्थात वृक्ष के मूल में ब्रह्मा का निवास रहता है। तने में विष्णु का, वृक्ष की शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है और वृक्ष के पत्ते समस्त देवताओं के निवास स्थान हैं। ऐसे वृक्ष देव। आपको नमस्कार है।

<u>प्रदेश में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि :-</u>

प्रदेश में वन विभाग को प्रतिकूल हालात के बावजूद जनसहभागिता से राज्य के फोरेस्ट कवर में बढ़ोत्तरी हो रही है। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि हमारा प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहां फोरेस्ट कवर में वृद्धि निरन्तर देखी गई है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 में वर्ष 2005 के सापेक्ष 186 वर्ग किमी फोरेस्ट कवर में अभिवृद्धि अंकित की गयी है।

<u>हरित राजस्थान कार्यक्रम :-</u>

प्रदेश के पर्यावरणीय समस्याओं के दूरगामी समाधान के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने महत्वाकांक्षी हरित राजस्थान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। योजना का शुभारम्भ 18.06.2009 शिक्षा संकुल जयपुर में पौधारोपण कर किया। इस कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसी दिन राज्य के सभी जिला कलेक्टर, जिला वन अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एवं हरित राजस्थान कार्यक्रम की समसामयिक आवश्यकता के संदर्भ में संबोधित करते हुए कहा कि वन विकास से ही मानवता ही सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। एक माह के बाद 19.07.2009 को जयपुर जिले की गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढोढसर की बाढा वाली ढाणी में साठवें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में माननीय मुख्य मंत्री ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम की शुरूआत की एवं उपस्थिति जन समुदाय को

संबंधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि वन विकास को जनगण के कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाकर वृक्षाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया जावे। इस प्रकार हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विकास का दायरा बढ़ाने हेतु सभी राजकीय विभागों/स्वयंसेवी संस्थाओं/पंचायत संस्थाओं, कारपोरेट हाउसों, विद्यार्थियों, महिला संगठनों एवं आम जन को इसमें भागीदार बनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की यह सकारात्मक सोच रही है कि वन सुरक्षित रहेंगे तो वन्यजीव भी सुरक्षित रह सकेंगे।

हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के डूंगरपुर जिले के खेमरल गांव में माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में दिनांक 11-12 अगस्त, 2009 को चौबीस घण्टे में छह लाख से अधिक पौधे रोपित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ है। इसमें जीवित प्रतिशतता 60 से 65 प्रतिशत है।

इस कार्यक्रम हेतु पौधे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिये विभागीय पौधशालाओं में महानरेगा, राज्य योजना एवं आर.एफ.बी.पी. योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पौधे तैयार किये जा रहे हैं। अब तक दो करोड़ पौधे तैयार किये गये हैं। विकेन्द्रीकृत पौधशालाओं की योजना को भी स्वीकृत किया गया है।

<u>महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय :-</u>

प्रदेश में वनों के प्रबंध के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश के गठन के 63 वर्षों उपरांत राज्य की 'प्रथम वन नीति' की घोषणा की गई है। राज्य वन नीति के प्रमुख उद्देश्य स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य की हरितिमा बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भूखण्डों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण व विकास से वनस्पतिक व वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना, आदि हैं।

<u>राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद् :-</u>

राज्य वन नीति की क्रियान्विति की समीक्षा हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जावेगी जिसमें वित्त, वन, जनजाति क्षेत्र विकास, शहरी विकास, खनन एवं पर्यटन विभाग के प्रभारी मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होंगे।

राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 :-

जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश में विशिष्ट स्थान रखता है। प्रदेश जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 को मंजूरी प्रदान की गयी है। इससे प्रदेश के जैव संसाधनों की पहुंच को नियमित किया जा सकेगा।

वनमित्र :-

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार करने एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उनसे संबंधित लाभों को ग्रामीण जनों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाने के लिये वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से मानदेय के आधार पर 1000 वन मित्र लगाये जाने का प्रावधान है। अब तक 462 वन मित्रों को लगाया गया है।

चरागाह विकास :-

मरूस्थलीय क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में घास बीड़ों के जीर्णोद्धार कर चारे की आपूर्ति बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चरागाह विकास की पच्चीस करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। दो चरणों में 10,000 हैक्टेयर में चरागाह सुधार के कार्य हाथ में लिये जावेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 400 हैक्टेयर में चरागाह विकास के कार्य करवाये गये हैं।

लुप्तप्राय: औषधीय प्रजातियों का संरक्षण :-

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र अनेक महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों से सम्पन्न है। गूगल प्रदेश की मुख्य औषधीय प्रजाति है। इसके संरक्षण हेतु जोधपुर व बाड़मेर जिलों में गूगल के संरक्षित क्षेत्र सृजित किये जा रहे हैं। 500 हैक्टेयर क्षेत्र में गूगल के पौधों का रोपण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य 6 औषधीय प्रजातियों के संरक्षण के लिये 7 औषधीय पौध संरक्षण स्थलों का सृजन किया गया है।

जन सहभागिता :-

हमारी संस्कृति अरण्य प्रधान रही है। यहां पर वनों को औरण, देव वन आदि के रूप में संरक्षित रखे जाने की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता व पम्परा हजारों वर्षों से प्रचलित है। लोगों की सहभागिता से वनों के सरक्षण एवं आज भी प्रासंगिक है। हम स्थानीय लोगों की सहभागिता से वनों के संरक्षण एवं

उसके विकास के लिये सतत् प्रयासरत हैं। राज्य में 5,054 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां लगभग सात लाख अस्सी हजार हैक्टेयर वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों के सुरक्षा एवं प्रबंध का दायित्व निभा रही हैं। इन समितियां में महिला उप-समितियों के गठन के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हाल ही में राज्य की दो ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां करैल एवं पालियाखेडा को इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भू एवं जल संरक्षण :-

जल संरक्षण हेतु राज्य की नदियों व झीलों के विकास के लिए भी विभाग विशेष कार्य कर रहा है। पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान की नदियों में बाढ़ की स्थिति में नदी घाटी एवं बाढ़ ग्रस्त नदी क्षेत्र में आने वाली वन भूमि तथा उससे सम्बद्ध निजी भूमि में भू क्षरण को रोकने तथा बेकार बहते हुए जल को संरक्षित कर वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग ने नदी घाटी एवं बाढ़ ग्रस्त नदी क्षेत्र परियोजनाओं के तहत 21 हजार 646 हैक्टेयर क्षेत्र को इस वर्ष अब तक उपचारित किया गया है। इस योजना से क्षेत्र में एक हैक्टेयर में 300 किलोग्राम उपज में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं कुओं के जल स्तर में वृद्धि हुई है।

लूणी नदी जलग्रहण क्षेत्र का उपचार :-

राज्य के पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले जिलों अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर की मरू गंगा लूनी नदी क्षेत्र के लिए एक हजार सात करोड़ रुपये की एक वृहद परियोजना 20 वर्ष के लिए बनायी गयी है जिसके तहत लूनी नदी का अड़तीस लाख सत्ताइस हजार हैक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र उचारित किया जायेगा। इस योजना से सिल्ट के कारण बांधों तालाबों की भराव क्षमता में कमी को रोका जा सकेगा, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी, भूमि की उत्पादकता में भी बढ़ोत्तरी होगी और स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।

परियोजना के पहले पांच वर्षो के लिए दो लाख तीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र हेतु दो सौ पचास करोड़ रुपये की सहायता के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जून-2006 में प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2008-09 में कार्य प्रारम्भ हुए और अब तक इस परियोजना के तहत वन विभाग द्वारा आठ हजार तीन सौ उन्यासी हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है। इसी प्रकार बनास परियोजना में 4 जिलों- दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक एवं करौली को उपचारित

किया गया है। अब बनास के उद्‌गम से उपचारित करने हेतु इसे भीलवाड़ा स्थानान्तरित कर भीलवाड़ा, राजसमन्द, अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को उचारित किया जावेगा।

<u>जनजाति कल्याण :-</u>

प्रदेश के बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवास कर रहे सहरियाओं का तथा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, आदि में रह रहे गरासिया एवं भीलों को वन विकास में भागीदार बनाने हेतु क्लोजर निर्माण करवाया जा रहा है। इससे एक तरफ रोजगार एवं आजीविका के साधन मुहैया होते हैं तो दूसरी ओर वन विकास होता है। वन विभाग द्वारा आदिवासी एवं परम्परागत निवासियों को जिला प्रशासन से वन भूमि पर अधिकार पत्र दिलाने में भी रचनात्मक प्रदान किया जा रहा है।

<u>बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना :- JICA- जापानी सहायता</u>

जापान सरकार के सहयोग से अब तक चार परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इन परियोजनाओं में करीब 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। जापान सरकार द्वारा मात्र 0.75 प्रतिशत ब्याज दर पर 30 वर्ष की अवधि के लिये यह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 2003 से जून, 2010 तक राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का प्रथम चरण प्रदेश के 18 जिलों में क्रियान्वित किया गया था। इसके द्वितीय चरण के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजे गये हैं। हाल ही में जापान सरकार, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों से आये जन-प्रतिनिधियों के साथ आगामी परियोजना की रूपरेखा के बारे में उदयपुर में विस्तृत चर्चा हुई थी एवं हम यह आशा करते हैं कि पुन: इस प्रकार वानिकी परियोजना हमारे प्रदेश के लिए शीघ्र ही स्वीकृत हो जायेगी। इससे प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्य को और गति मिल पायेगी, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा वन एवं वन्य जीवन का संवर्द्धन भी होगा।

<u>वन क्षेत्रों में ईको रेस्टोरेशन कार्य :-</u>

महानरेगा योजना में एक लाख हैक्टेयर वन क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों जिनमें रूट स्टाक काफी अच्छा है, उनमें पक्की दीवार निर्माण का कार्य महानरेगा योजनान्तर्गत बड़े पैमाने पर किया जाना प्रस्तावित है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की पहल पर नरेगा के दिशा-निर्देशों में दीवार निर्माण को जुड़वाया गया है। इसके लिए जिलेवार प्रस्ताव तैयार किया जाकर ग्राम पंचायतों से अनुमोदन उपरान्त जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी को

स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ हो सकेंगे। इन कार्यों से वन क्षेत्रों में अतिक्रमण आदि से सुरक्षा होगी एवं उसमें मौजूद वनस्पति का संवर्धन भी होगा तथा वन्यजीवों को भी शरण मिलेगी।

<u>वन्यजीव संरक्षण :</u>

प्रदेश में जलवायु की विभिन्नता के कारण अनेक वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रदेश के लोगों का वन्य जीवों के संरक्षण में पारम्परिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य के पश्चिमी भाग में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विश्नोई समाज का योगदान सराहनीय है।

वन्य जीवों की शरणस्थली के रूप में राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभयारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9,161.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.81 प्रतिशत एवं वन क्षेत्र का 30.22 प्रतिशत है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि राज्य के अधिकांश सघन वन क्षेत्र वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में सम्मलित हैं।

<u>विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान एवं केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान :-</u>

बाघ की "सुनिश्चित साईटिंग" की वजह से राज्य का रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राज्य ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। पक्षियों के स्वच्छंद कलरव, जल क्रीड़ा एवं अपनी प्राकृतिक छटा के कारण केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल के रूप में विख्यात है।

<u>मरू राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य :-</u>

3,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मरू राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य अपनी अनूठी जैव विविधता के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, जिसे विश्व धरोहर की प्रथम सूची में सम्मिलित किया गया है।

<u>बाघ संरक्षण फाउण्डेशन का गठन :-</u>

राज्य में बाघ संरक्षण के कार्य को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से इस वर्ष सरिस्का एवं रणथम्भौर के लिये "बाघ संरक्षण फाउन्डेशन" का गठन किया गया है। बाघ संरक्षण फाउन्डेशन बनाने से टाईगर रिजर्व के प्रबन्धन में आ रही वितीय पोषण सम्बन्धी समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही स्थानीय स्टेक होल्डर्स का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।

<u>सरिस्का में दो अन्य बाघ :-</u>

बाघों की स्वर्णिम आश्रय स्थली सरिस्का में पूर्व में छोड़े गये तीन

बाघों के अतिरिक्त एक बाघ एवं बाघिन के जोड़े को छोड़ने की प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अनुकूल अवसर मिलते ही सरिस्का में एक जोड़े को छोड़ा जावेगा। इससे सरिस्का को पुन: बाघों से आबाद करने की दिशा में मदद मिलेगी।

<u>नाबार्ड ऋण से रणथम्भौर एवं सरिस्का में जल स्त्रोतों का विकास :-</u>

टाईगर रिजर्व सरिस्का एवं रणथम्भौर में जल स्त्रोतों को विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से इसी वर्ष चालीस करोड़ निन्यानवें लाख रुपये लागत की परियोजना स्वीकृत कराई गई है, जिससे इन रिजर्वों में 85 जल स्त्रोतों का निर्माण कराया जावेगा।

<u>गांवों का पुर्नवासन :-</u>

बाघ परियोजना सरिस्का एवं रणथम्भौर से वहां बसे लोगों को सहमति बनाकर सम्मानजनक रूप से बाहर बसाये जाने के लिये भारत सरकार ने विस्थापित प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये का पैकेज नकद देने का प्रावधान किया है।

<u>केवलादेव में पानी की समस्या का स्थायी समाधान :-</u>

राज्य का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो वर्ष दर वर्ष पानी की कमी से जुझता रहा है, उसमें पानी की स्थायी व्यवस्था करने की दृष्टि से इस उद्यान में यमुना नदी के बाढ़ के पानी को गोवर्धन ड्रेन से पाइप लाइन के माध्यम से लाने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कुल पचास करोड़ छियत्तर लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है तथा इसमें से इस वर्ष 6 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को रिलीज की गई है। परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाकर पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जावेगा।

<u>परिस्थितिकीय पर्यटन के विकास पर बल:-</u>

राज्य में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र रणथम्भौर, केवलादेव नेशनल पार्क तथा सरिस्का आदि अभयारण्य हैं, जिनमें ट्यूरिज्म को "ईको फ्रेन्डली" बनाने, स्थानीय ईको डवलपमेंट कमेटी की सहभागिता प्राप्त कर अधिक प्रभावी प्रबन्धन करने की दृष्टि से राज्य की ईको ट्यूरिज्म पालिसी बनाई गई है। इस पालिसी से ईको टूरिज्म स्थलों पर पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें मिलेगी तथा पर्यटन स्थलों का विकास होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु दो करोड़ इकसठ लाख एवं माउण्ट आबू अभयारण्य हेतु दो करोड़ इकतीस लाख की राशि के

ईको-ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये, जिससे इन क्षेत्रों में ईको ट्यूरिज्म सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। सरिस्का, रणथम्भौर तथा उदयपुर स्थित अभयारण्यों के लिए तीन ईको ट्यूरिज्म परियोजनाएं बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई हैं। ईको ट्यूरिज्म के कार्य के सशक्तिकरण हेतु राज्य में वन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ईको ट्यूरिज्म सोसाइटी का गठन किया गया है, जिससे राज्य के रमणीक वन क्षेत्रों तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पर्यटन के कार्य को स्वीकृत किया जाकर राज्य में पर्यटन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।

राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जरवेशन सोसायटी का गठन :-

राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्र जिनमें वित्तीय संसाधनों के अभाव में आवश्यकता अनुरूप संरक्षण एवं विकास कार्य सम्पादित नहीं करवाये जा पा रहे थे, उनके लिये इस वर्ष ''राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जरवेशन सोसायटी'' गठित कर उसके खाते में तेईस करोड़ पिंचानवें लाख रुपये जमा करवाये गये हैं। इस राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज से अब इन संरिक्षत क्षेत्रों को विकसित किया जा सकेगा।

आनलाइन बुकिंग :-

प्रति वर्ष बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक राज्य के वन्य जीव स्थलों में भ्रमण हेतु आते हैं। पर्यटकों को अधिक सुविधा देने की दृष्टि से राज्य के रणथम्भौर तथा सरस्कि बाघ परियोजना क्षेत्र एवं केवलादेव पक्षी उद्यान में प्रवेश हेतु आनलाइन बुकिंग की जा रही है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं अपितु विदेशों में बैठे पर्यटक अपनी बुकिंग कराकर अपनी यात्रा के प्रति आश्वस्त हो सकें तथा अपनी यात्रा को आनन्ददायक बना सकें।

बायोलोजिकल पार्कों का विकास :-

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गाईडलाइन्स के अनुरूप उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क एवं जयपुर में नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा गत वर्ष के बजट में की गई घोषणा के क्रम में जोधपुर में माचिया बायोलोजिकल पार्क बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ले-आउट प्लान के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण को भेजे गये हैं तथा इसके लिये वर्ष 2010-11 के बजट में 4 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष से माचिया बायोलोजिकल पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

कैम्पा कोष का गठन :-

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामले में राशि एड-हाक कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा होती है जो राज्य को लम्बे समय से प्राप्त नहीं हो रही थी। इस दिशा में प्रयास कर राजस्थान में स्टेट कैम्पा का गठन किया गया है। इससे केन्द्र सरकार से राशि मिलने में सुगमता होगी एवं वानिकी कार्यों को गति मिलेगी। इस वर्ष स्टेट कैम्पा में बत्तीस करोड़ उनसठ लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। स्टेट कैम्पा में विभिन्न स्तरों पर वन विकास कार्यक्रमों की मोनिटरिंग/स्वीकृति हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी बनाई गई है। इसी प्रकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

आरा मशीन नियमों का सरलीकरण :-

राजस्थान वन उपज (आरा मशीन की स्थापना एवं नियम 1983) में दिनांक 13.01.2010 से संशोधन किया गया। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा एवं आरा मशीनों का हस्तांतरण सुगम होगा। साथ ही अवैध आरा मशीनों के संचालन पर भी अंकुश लगेगा।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 37 नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विचाराधीन प्रस्तावों में से कुल 24 प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति जारी की गई।

सूचना तंत्र का विकास :-

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विभाग के द्वारा स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर के सहयोग से वन एटलस बनाने का कार्य किया जा रहा है। जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, धौलपुर एवं टौंक जिलों के वन खण्डों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है। झंझुनूं, बारां, करौली, बूंदी, पाली, सीकर एवं सवाई माधोपुर जिलों के वन खण्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

वन प्रशासन :-

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चित के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में एक हजार वन रक्षकों की भर्ती की जावेगी। इस

वित्तीय वर्ष में विभिन्न संवर्ग के 88 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 85 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए विभाग में 29 आश्रितों को विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। अनुकम्पा नियुक्ति संबंधित 41 प्रकरण कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिये प्रेषित किये गये हैं।

वित्तीय प्रावधान :-

राज्य आयोजना अन्तर्गत मांग संख्या-9 में 2009-10 में कुल राशि रुपये एक सौ बारह करोड़ चार लाख रुपये चौवन हजार का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। इस प्रावधान को संशोधित अनुमान में रुपये साठ करोड़ इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार का करवाया गया है। माह फरवरी, 2010 तक कुल व्यय राशि रुपये चौवालीस करोड़ आठ लाख का हुआ है।

वानिकी कार्य श्रम प्रधान है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने में इनकी अग्रणी भूमिका है। इस वर्ष विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के क्रियान्वयन से एक करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हुये हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत मानव दिवस अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाये जाने से सृजित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत मांग संख्या 9 में कुल राशि उन्यासी करोड़ इकसठ लाख के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। जिनमें मुख्यत: निम्नांकित कार्य करवाये जायेंगे :-

जोधपुर में माचिया क्षेत्र को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार बायोलोजिकल पार्क के रूप में विकसित करना-राशि रुपये चार करोड़।

वनखण्डों के सीमांकन के लिये 10,064 मीनारों का निर्माण-राशि रुपये एक करोड़ बीस लाख सतत्तर हजार।

जैसलमेर जिले में ईको टास्क फोर्स के माध्यम से 600 है. में वृक्षारोपण-राशि रुपये बियालीस लाख बाइस हजार।

कृषि वानिकी योजना में 1 करोड़ पौधे तैयार कराना-राशि रुपये दो करोड नौ लाख पैंसठ हजार।

नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण से अभयारण्यों में एनीकट का निर्माण-राशि रुपये पच्चीस करोड़।

गंग एवं भाखडा नहर प्रणाली की नहरों के किनारे वृक्षारोपण कार्य-राशि रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख बाइस हजार।

केवलादेव घना पक्षी विहार में पानी की आपूर्ति के लिये गोवर्धन ड्रेन के निर्माण-राशि रुपये तीस करोड़।

आयोजना भिन्न में मांग संख्या-9 में वर्ष 2010-11 में राशि रुपये तीन सौ पचपन करोड़ पिचहत्तर लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

अंत में मैं माननीय सदस्यों को दलगत व क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर वन एवं वन्य जीव तथा पर्यावरण के विकास में आगे आकर कार्य करने की अपील करता हूं ताकि राजस्थान के वन घने, सुरम्य व वन्य जीवों के आश्रय स्थल के रूप में विकसित हो सकें।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या-9 (वन) में कुल मांग चार अरब नवासी करोड़ तिरयासी लाख सैंतीस हजार को पारित करवाने का कष्ट करें।

जयहिन्द।